0k"k % 39(vad % 2(Qjojh % 2017(eY; % nl #Ik,

सीटू मजदूर

राजमहल कोयला खदान दुर्घटना

खुली खदान का तबाही वाला स्थान

शवों का निकाला जाना

(रिर्पोट पृ० 4)

कोयला खदान तबाही के खिलाफ राजमहल में विरोध

अहमदाबाद में सीटू की योजना कर्मियों की यूनियनों की संयुक्त रैली

(रिर्पोट पृ० 24)

दिल्ली नगर निगम के ठेका मजदूरों की हड़ताल व जीत

(रिर्पोट पृ० 24)

भिलाई में स्टील मजदूरों का राष्ट्रीय कन्वेंशन

(रिर्पोट पृ० 11)

सीटू मजदूर

lhvkbVh;w dk
e[ki=

फरवरी 2017

सम्पादक मण्डल

सम्पादक
के हेमलता

कार्यकारी सम्पादक
जे एस मजुमदार

सदस्य
तपन सेन,एम एल मलकोटिया, पुष्पेन्द्र त्यागी

अंदर के पृष्ठों पर

1, राजमहल कोयला खदान दुर्घटना –आर पी सिंह 4

2. नोटबंदी का विरोध 12

3. मजदूर–किसान–खेतमजदूर 18

4. योजनाकर्मियों की हड़ताल 21

5. प्रदेशों से 24

6. उपभेक्ता मूल्य सूचकांक 26

सम्पादकीय

दुर्घटना नहीं, मौत का कुआं बना दी गयी थी खदान

29 दिसंबर 2016 को राजमहल की ओपनकास्ट कोयला खदान में हुआ हादसा न तो कोई दुर्घटना है, न ही जिम्मेदार पदों पर बैठे कुछ या सभी अधिकारियों की विफलता है। असल में तो यह मजदूरों की सामूहिक हत्या है। क्योंकि सभी जानते थे कि यह असुरक्षित ओपनकास्ट खदान जाना पहचाना मौत का कुंआ है।

मजदूरों के इस हत्याकाण्ड के लिए केंद्रीय कोयला एवं ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल दो आधारों पर जिम्मेदार हैं। एक तो इसलिए कि वे सीधे सीधे उस कोयला विभाग के मंत्री हैं जिनके प्रशासनिक नियंत्रण में कोल इंडिया आती है। दूसरे इसलिए कि उन्होंने कोल इंडिया पर दबाब बनाया कि वह जैसे भी हो वैसे उत्पादन के बढे– चढ़े लक्ष्य को पूरा करे। मुख्य नियोजक होने के नाते ईसीएल का प्रबंधन जिम्मेदार है क्योंकि उसने सभी सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करके किसी भी तरह उत्पादन लक्ष्य को हासिल करवाने पर जोर दिया। डीजीएमएस जिम्मेदार है क्योंकि उसने सुरक्षा कारणों के चलते दो महीने से बंद पड़ी इस खदान को बिना समुचित जांच किये, बिना सेफ्टी चाकचौबंद किये ही फिर से उत्पादन शुरू करने की इजाजत दे दी। सीटू की जांच समिति की रिपोर्ट से साफ होता है कि आउटसोर्सिंग कम्पनी भी कई बिंदुओं पर इस आपराधिक हादसे की दोषी है। इस हत्याकांड में शरीके जुर्म है। मगर अभी तक इनमे से किसी पर भी जिम्मेदारी आयद नहीं की गयी है। अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। यहां तक कि बचाव कार्य के लिए गठित एन डी आर एफ की टीम में भी कोई खदान विषेशज्ञ नहीं था। जान चली जाने के बाद सिर्फ मुआवजा दिया जाना भर काफी नहीं है। दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए ।

आखिरी खबर मिलने तक 18 मजदूरों की लाशें निकाली जा चुकी थीं। विराट मलबे के ढेर में 45 से 50 मजदूरों के दबे होने की आशंका है । चूंकि आउटसोर्सिंग/ठेकेदार कम्पनी ने 1952 के माइन्स एक्ट की धारा 48 और 1955 के माइन्स रूल्स के सम्बंधित प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई थीं और मजदूरों का हाजिरी रिकॉर्ड नहीं रखा था, इसलिए यह नहीं पता कि जब हादसा हुआ उस वक्त कितने मजदूर मौके पर काम पर थे । चूंकि उनमे से अधिकाँश प्रवासी मजदूर थे, इसलिए यह आंकड़ा साबित करना भी मुश्किल है कि कितने मजदूर मलबे में जिंदा दफन हो गए ।

सीटू कोयला मंत्री से मांग कर चुकी है कि (1) आउटसोर्सिंग/ ठेकेदार कम्पनी महालक्ष्मी इंफ्रा लि. पर मजदूरो के सामूहिक नरसंहार का मुकदमा कायम किया जाए (2) एक स्वतंत्र एजेंसी का गठन कर उससे जांच कराई जाए कि निजी ठेकेदार की आपराधिक कार्यवाहियों को होने देने, उसे प्रश्रय देने में ईसीएल तथा डीजीएमएस के अधिकारियों की लापरवाही तथा भागीदारी कैसी तथा कितनी रही । इसके लिए उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए तथा दोषियों को उदाहरण योग्य सजा मिलनी चाहिए ।

हम सबको पता है कि केंद्रीय मंत्री इन मांगों पर कुछ भी नहीं करने वाले । इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि, ट्रेड यूनियन आंदोलन सरकार को मजबूर करे कि वह मजदूरों के सामूहिक हत्याकांड की अपराधी आउटसोर्स कम्पनी के मालिक और मैनेजमेंट को तत्काल गिरफ्तार करे । इस सबमे ईसीएल और डीजीएमएस के अधिकारियों की संलिप्तता और भूमिका की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए ।

राजमहल कोयला खदान में तबाही

आर.पी. सिंह
उपाध्यक्ष, ऑल इण्डिया कोल वर्कर्स फैडरेशन

झारखण्ड के गोड्डा जिले के लालमटिया क्षेत्र में 29 दिसम्बर को बड़ी दुर्घटना हुई। यह दुर्घटना ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड़ की राजमहल ओपन कास्ट खदान के मैन्टोला पैच पर दूसरी पाली में 29 दिसम्बर 2016 को हुई है। केन्द्रीय कोयला एवं बिजली मंत्री पीयूष गोयल की जिम्मेदारी और उनके कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कोल इण्डिया लिमिटेड की सहायक कम्पनी है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड़। एक दल जिसमें ऑल इण्डिया कोल वर्कर्स फैड़रेशन के उपाध्यक्ष आर.पी. सिंह, महासचिव विवेक चौधुरी, ई.सी.एल. में सीटू यूनियन की सी.एम.एस.आई. के गौरांग चटर्जी व सुजीत भट्टाचार्य और सीटू झारखंड के महासचिव प्रकाश विप्लव शामिल हैं, ने 31 दिसम्बर को दुर्घटना स्थल का दौरा किया और दुर्घटना के कारणों और परिणामों के बारे में पूछताछ की।

खनन ऑपरेशन को गुजरात की एक निजी कम्पनी महालक्ष्मी इंफ्रा लिमिटेड़ को आउटसोर्स किया गया था। कोल मंत्रालय के दबाव में ई.सी.एल. प्रबंधन ने बहुत बेचैनी में उत्पादन लक्ष्य हासिल करने और किसी भी कीमत पर अधिकतम् मुनाफा बनाने के कम्पनी के मुख्य उद्देश्य के वास्ते आउटसोर्स किया था, दुर्घटना के पीछे यही दो मुख्य कारण हैं।

राजमहल खदानों के इस पैच का खनन ऑपरेशन, खनन की असुरक्षित स्थिति के कारण पिछले दो महीने से बन्द था। दुर्घटना से 3 दिन पहले 26 दिसम्बर को अचानक ही खनन कार्य पुनः शुरु किया गया। यह सूचना मिली है कि डी.जी.एम.एस. (खान सुरक्षा महानिदेशक) ने खदानों को फिर से खोलने के लिए अनुमति दे दी थी। 27 दिसम्बर को पहली ही पाली में मजदूरों को झुके पल्ले में दरारें दिखायी देने पर तुरन्त प्रबंधन को सूचित किया था। आउटसोर्स कम्पनी के प्रबंधन ने न तो कोई कार्यवाही की और न काम निलम्बित किया। फिर अगले ही दिन 28 दिसम्बर को मजदूरों ने दरारें बढ़ी हुई देखने पर तुरन्त ही प्रबंधन का सूचना दी। फिर प्रबंधन ने सभी सुरक्षा एहतियातों के प्रति आपराधिक लापरवाही के साथ खनन कार्य को बिना रुके जारी रखा। इस बार श्रमिकों ने विरोध शुरु किया। फिर भी इस निजी कम्पनी के प्रबंधन ने धमकी दी और मजदूरों को खतरनाक परिस्थितियों में काम जारी रखने के लिए मजबूर किया। जैसी कि आशंका थी, 29 दिसम्बर 2016 को दूसरी पारी के काम के दौरान सांय 7.30 बजे झुका पल्ला सभी तीन बैंचों पर गिरा और काम करने वाले श्रमिकों को जिन्दा दफन कर दिया।

सीटू की टीम जाँच करने और तथ्य एकत्र करने के बाद निम्न निष्कर्ष पर पहुँची है।

निष्कर्ष

1. राजमहल कोयला परियोजना का यह पैच मैन्टोला गहरी खदानों या महालक्ष्मी पैच कहलाता है, जिसे बिडला परिवार के स्वामित्व वाली गुजरात आधारित कम्पनी महालक्ष्मी इन्फ्रा लिमिटेड़ को आउटसोर्स किया गया।
2. असुरक्षित खनन परिस्थितियों के चलते, इस दुर्घटना से दो महीने पहले से खदान बन्द की गयी थी। डी.जी.एम.एस. की अनुमति के बाद खनन कार्य 26 दिसम्बर से पुनः आरम्भ किया गया। जब असुरक्षा के चलते खनन बन्द किया गया तो डी.जी.एम.एस. ने उत्पादन के लिए पुनः चालू करने की अनुमति कैसे दी?
3. झुका पल्ला करीब 700 से 800 फीट उँचा, 1 किलोमीटर लम्बा और 500 मीटर चौड़ा था। कचरे का झुका पल्ला काम के बैंच से सटा हुआ था अर्थात् स्वीकृत खनन प्रावधानों को नजरअन्दाज करते हुए तथा खनन सुरक्षा नियमों का खुला उल्लंघन किया गया। झुके पल्ले और कार्यस्थल के बीच 60 मीटर की दूरी को कैसे नहीं बनाऐ रखा गया जो खदान संरक्षा मानकों का सरासर उल्लंधन ही है?
4. 27 दिसम्बर को पहली पाली में झुके पल्ले में दरार मजदूरों को नजर आयी और उसकी जानकारी प्रबंधन की दी गयी। प्रबंधन ने कोई कार्यवाही नहीं की। 28 दिसम्बर को मजदूरों को दरार और चौड़ी नजर आयी। मजदूरों ने इसकी सूचना प्रबंधन को दी।श्रमिकों ने विरोध किया और काम करने से मना किया। लेकिन सभी चेतावनियों को अनदेखा करते हुए प्रबधन ने फिर भी काम जारी रखने का दबाव बनाया।
5. दुर्घटना 29 दिसम्बर को दूसरी पाली में सांय 7.30 बजे हुई। झुका पल्ला भारी तादाद में नीचे की ओर खिसक कर तीन बैंचों में काम कर रहे मजदूरों के ऊपर आ गिरा। खुली खदानों में हुई दुर्घटनाओं में दुनिया की यह सबसे बड़ी दुर्घटना है।

6. .दुर्घटना के समय 30 से 40 डम्पर उनके ऑपरेटर एवं सहायक सहित काम कर रहे थे। उस समय एक खुदायी करने वाला बेलचे से काम कर रहा था। अर्थात् दुर्घटना के समय न्यूनतम् 70 से 80 मजदूर काम कर रहे थे। कुछ श्रमिकों का कथन है कि दुर्घटना के समय 70 डम्पर कार्यरत थे।

7. श्रमिकों की संख्या और दुर्घटना के समय तैनात श्रमिकों की संख्या सहित हाजिरी से सम्बन्धित कोई भी कानूनी दस्तावेज उपलब्ध नहीं था। दुर्घटना का शिकार कोई भी स्थानीय निवासी नहीं था, प्रबंधन इसका लाभ ले रहा है।

8. बचाव अभियान भी अपर्याप्त है। एन.डी.आर.एफ. के कुछ लोगों और मलबे की भारी मात्रा को हटाने के लिए केवल 4 एक्सक्वेटरों को ही लगाया। बचाव कार्य की वर्तमान गति के मद्देनजर हमारे अनुमान के अनुसार मलबे को हटाने में एक साल से ज्यादा लगेगा। हमारा निष्कर्ष है कि 300 फीट ड्रेगालाईन की तुरन्त तैनाती करने पर ही सारे मलबे को 1 या 2 माह में हटाकर मृतक श्रमिकों के शवों को बरामद किया जा सकता है।

9. निजी कम्पनी को खनन कार्य की आउटसोर्सिंग इस दुर्घटना का मुख्य कारण है, क्योंकि उनका मकसद अधिकाधिक मुनाफे के लिए तमाम सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए ज्यादा तादाद में कोयला उत्पादन करना है।

10. हमारी राय में न केवल झुके पल्ले और कार्यस्थल के बीच 60 मीटर की दूरी जैसे बुनियादी सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया बल्कि दुर्घटना के बाद निपटने में भी प्रबंधन की बहुत कमजोरी है।

11. आपराधिक लापरवाही का मामला डी.जी.एम.एस., महालक्ष्मी इन्फ्रा लिमिटेड़ और ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड़ प्रबंधन पर आयद होता है।

एक अभूतपूर्व आपदा

(सीटू नेताओं और ए.आई.सी.डब्ल्यू.एफ. के सहायक महासचिवों जी के श्रीवास्तव एवं मानस मुखर्जी की 7 जनवरी 20116 को कोल इण्डिया को सौंपी गयी रिपोर्ट का निचोड़)

सेफ्टी बोर्ड एण्ड स्टैडिंग कमेटी ऑन सेफ्टी के अधोहस्ताक्षरकर्ता सदस्यों ने 4 जनवरी 2017 को राजमहल खदानों का दौरा किया जहाँ 29 दिसम्बर 2016 को तबाही हुई और ठेका मजदूरों की मूल्यवान जिन्दगियों को ले गयी। हम ने बहुत से ठेका मजदूरों, विभागीय मजदूरों और राजमहल ओ.सी. प्रबंधन से मुलाकात की और उनके साथ बातचीत की थी। हम ने दुर्घटना स्थल के आस– पास जहाँ जाने की इजाजत है और संभव है वहाँ तक दौरा किया। ऐसे सभी निरीक्षणों और बातचीत से हम ने प्रथम दृष्टया अवलोकन तैयार किया।

राजमहल ओ.सी.पी. का दुर्घटना रिकार्ड बहुत ही चौंकाने वाला है। 29 सिम्बर 2001 को हॉल रोड़ गिरने से 7 श्रमिकों की मौत हो गयी थी (केस सं० 93/2001, लालमटिया थाना)। 2 साल पहले काम की जगह पर पानी की बाढ़ आने से 3 श्रमिक मौत के शिकार हुए। 6 महीने पहले गहरी खदान में पानी की हौदी पंचर होने से 3 श्रमिक घायल हो गए थे। वहाँ सुरक्षा समितियों की कोई नियमित मीटिंग नहीं होती है। क्षेत्रीय सुरक्षा विभाग के साथ ही साथ परियोजना सुरक्षा विभाग व्यावहारिक रुप से समाप्त हो चुके हैं।

राजमहल ओ.सी.पी. पल्ला झुकने से लगभग यू–आकार में घिर गयी थी। कार्यस्थल पर ओ.बी. डम्प किसी बैंच के बिना ही 150 मीटर ऊँचा था।

डम्प का खिसकना 27 दिसम्बर को सुबह की पाली में देखा गया था और इसकी पुनरावृत्ति 28 दिसम्बर को रात की पाली में हुई थी। 29 दिसम्बर को अपनी जान को खतरे को भाँपते हुए श्रमिक कोयला ओ.बी. में काम करने को तैयार नहीं थे। दूसरी पाली में राजमहल ओ.सी.पी. के प्रबंधन ने उन्हे धमकी दी और उसने काम करने के लिए मजबूर किया था। सांय 7–8 बजे डम्प की स्थिरता विफल हो गयी और 650 मीटर चौड़ाई 110 मीटर ऊँचाई (कुल ऊँचाई में से) की ओ.बी. की डम्प कार्यस्थल पर ढ़ह गयी और परिणाम स्वरुप 23 श्रमिक (फार्म डी उपलब्ध न होने के कारण सही संख्या ज्ञात नहीं) क्रूर मौत का शिकार होगए। इस आपदा से 20 मिनट पहले डम्प में दरार के असामान्य तौर पर चौड़ा होने के बारे में नियंत्रण कक्ष में रेडियो संदेश था, जिस पर भी प्रबंधन ने कोई ध्यान नहीं दिया।

यह तथ्य किसी भी संदेह से परे है कि ओ.बी. डम्प की स्थिरता की विफलता का कारण, उचित तिपाही (पाढ़) के बिना असामान्य बनी ऊँचाई, असामान्य वजन और जानबूझकर कोयला परत का वितरण और डम्प के कोने के दबाव क्षेत्र की परत में तुरन्त खदान।

कोयले या उसकी उपरी सतह की कटाई से इंकार करने वाला प्रबंधन का बयान किसी भी तरह से विश्वसनीय नहीं है, लेकिन उसकी राय कि अज्ञात लाइन या आड़ी तिरछी लाइन की मौजूदगी के चलते ओबी. के नीचे ठोस परत टूट सकती है को नजरंदाज नहीं किया जा सकता और इसकी जाँच की जा सकती है। हालाँकि अभी भी सवाल बना हुआ है कि अज्ञात लाइनों के होने की जानकारी के बावजूद भी ओबी. डम्प की असामान्य ऊँचाई क्यों बनने दी और डम्प के कोने में सतह/कोयला क्यों आवंटित किया गया? जानते हुए कि वर्क ऑडर में डम्पिंग की जगह निर्दिष्ट है फिर खुली खदान के किनारे पर कचरा क्यों जमा किया गया।

प्रबंधन का उपरोक्त बयान ठेका एवं विभागीय श्रमिकों द्वारा विवादित था। उनके मुताबिक झुके पल्ले में कोई तिपाही नहीं थी और झुके पलले की ऊँचाई 150 मीटर से उपर थी। डम्प फैकने का स्थान 60 मीटर नीचे गलत जगह बनाया गया था।

डम्प के कोने की आधार भूमि में ओ.बी. डम्प का दबाव इतना अधिक था कि उसने खड़ी दरार पैदा कर दी और ठेकेदार एवं प्रबंधन ने दरार की माप ओ.बी. के ऊपर से ही ली। यह पाया गया कि यह दरार तेजी से चौड़ी हो रही थी, ओ.बी. डम्प के अस्थिरता के लक्षणों को ठेकेदार और प्रबंधन दोनों ने ही नजरअन्दाज किया। हालाँकि श्रमिक झुके पल्ले के नीचे ओ.बी. और कोयले के मुहाने दोनों पर काम करने को इच्छुक नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके जीवन को धमकी के साथ सबसे असुरक्षित खनन हालात में उन्हे काम करने के लिए मजबूर किया गया।

राजमहल ओ.सी.पी. सुरक्षा नियमों के अत्यधिक उल्लंघन के बारे में महगामा के एक प्रतिष्ठित नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता ने ईमेल के माध्यम से एक पत्र भेजकर डी.जी.एम.एस. का ध्यान आकर्षित किया और उसकी प्रतिलिपि सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार तथा सरकार में अन्य लोगों को भी भेजी थी। उसने अपनी 6 मई 2015 की शिकायत में गहरी खदान (दुर्घटना की मौजूदा जगह सहित) में खनन कानूनों के उल्लंघन को उठाया था। लेकिन हैरत की बात है कि डी.एम.एस. (एस.) धनबाद ने नागरिक टिप्पणियों एवं शिकायतों से इन्कार करते हुए घोषणा की कि आपकी शिकायत में कोई सच्चाई नहीं है।

ओ.बी. डम्प के असफल होने के चलते पहले भी कोल इण्डिया और ई.सी.एल. में भी दुर्घटनाऐं होती रही हैं, लेकिन इतनी बड़ी कम्पनी के पास कोई बुनियादी ढ़ाँचा और ऐसी घटनाऐं होने पर आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित मानव संसाधन नहीं है। यही वजह है कि बचाव कार्य में 16 घंटे की असामान्य देरी हुई और अभी तक केवल 18 शव ही बरामद हो सके हैं।

श्रमिकों ने सुनिश्चित किया कि हाजिरी दर्ज करने के लिए फार्म 'डी' की कोई व्यवस्था नहीं थी। उनके मुताबिक पहले काम के दौरान कार्यस्थल पर, हाजिरी दर्ज करने के लिए एक पेपर शीट इस्तेमाल की जाती थी। यह निश्चित है कि काम पर जाने से पहले उनकी हाजिरी दर्ज नहीं कीजाती थी।

29 दिसम्बर 2016 का हाजिरी पत्रक उपलब्ध नहीं था। हमारी यूनियन ने 29 दिसम्बर 2016 को दूसरी पाली का हाजिरी रजिस्टर/हाजिरी एंव ओ.टी. की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की लिखित माँग 31 दिसम्बर 2016 को की, लेकिन अभी तक भी यूनियन को वह उपलब्ध नहीं कराया गया है।

जब श्रमिकों के हाजिरी रिकार्ड/रजिस्टर के लिए प्रबंधन से सम्पर्क किया तो उत्तर मिला कि हाजिरी पत्रक एवं अन्य दस्तावेज डी.जी. एम.एस. प्राधिकारी ने जब्त कर लिए हैं, प्रबंधन के पास ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। लेकिन प्रबंधन ने बताया कि 29 दिसबर 2016 को ''बी'' पाली में 31 श्रमिक उपस्थिति थे। जिनमें से 8 सुरक्षित एवं जीवित हैं और 23 श्रमिक मौत के शिकार हुए, जिनमें से 18 के शव बरामद हो चुके हैं। लेकिन स्थानीय लोगों की जानकारी के अनुसार उस विशेष पाली में 40 से अधिक मजदूर मौजूद थे।

राजमहल ओ.सी.पी. और उसके आसपास के गाँव एक और आपदा का इंतजार कर रहे हैं। ओ.सी.पी. का काम बोहारी, बस्दिहा, लोहान्दिया गाँव के किनारे तक पहुँच गया है। जनकपुर नामक गाँव खाली करा लिया गया है और उसका पुर्नवास केवल कागजों पर ही है, लेकिन हम ने देखा कि बस्ती अभी भी खदान के बहुत करीब ही है।

महालक्ष्मी इन्फ्रा के मजदूरों को 24 घंटे खदान के अन्दर शिविर में रहने को मजबूर किया जा रहा है, जो राष्ट्रीयकरण के पूर्व सी.आर.ओ. शिविर की याद दिलाता है। यह शिविर झुके पल्ले के एकदम ऊपर है, जो कभी भी ढ़ह सकता है। श्रमिकों को शिविर से बाहर आने की अनुमति नहीं है और स्थानीय लोगों के साथ आपस में मिलने से वंचित रखा हुआ है।

एक और आउटसोर्स एजेन्ट, आदित्य बिड़ला समूह की एम.आर.सी.एल. ने हॉल वे के करीब 4 बड़े डीजल टैंकों के साथ एक ईधन स्टेशन स्थापित किया है। स्थानीय लोगों की सूचना के अनुसार ईंधन स्टेशन के नीचे भयंकर जमीनी आग है जिसे झुके पल्ले से ढ़ांक दिया गया था। उन्हे आशंका है कि उस आग से कभी भी दुर्घटना हो सकती है, जो आस–पास के गाँवों पर असर डालेगी।

डी.जी.एम.एस. की भूमिका निन्दनीय है, उसने इस खदान में सुरक्षा कानूनों के उल्लंघन की शिकायतों का संज्ञान नहीं लिया। उसने इतनी भयंकर स्थिति में भी खनन ऑपरेशन और कोयला निकालने की अनुमति दी।

आपराधिक मुकद्दमा दायर करो; निष्पक्ष जाँच कराओ

(सीटू महासचिव तपन सेन द्वारा केन्द्रीय कोयला मंत्री पीयूष गोयल को 4 जनवरी, 2017 को भेजे पत्र के अंश)

ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के राजमहल इलाके में 29 दिसम्बर 2016 को हुई त्रासद दुर्घटना के संबंध में 2 जनवरी, 2017को आपको लिखे पत्र के बाद इस पत्र के माध्यम से मैं ऑल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन (सीटू) की एक टीम द्वारा 31.12.2016 को घटना स्थल पर जाकर की गयी जाँच में जुटाये गये तथ्यों को प्रस्तुत कर रहा हूँ।

1. राजमहल परियोजना की यह खनन पट्टी जहाँ 29 दिसम्बर को यह दुर्घटना घटी उसे मैनतला डिप माइन या महालक्ष्मी पैच कहा जाता है क्योंकि खनन का कार्य आऊटसोर्स कर गुजरात आधरित कंपनी महालक्ष्मी इन्फ्रालिमिटेड को दिया गया है।
2. खनन के लिए असुरक्षित हालात के कारण खदान दो महीने से बंद थी।
3. आश्चर्यजनक रूप से इस पैच में खनन कार्य 26 दिसम्बर, 2016 को फिर शुरू हो गया। बताया जाता है कि ऐसा खदान सुरक्षा महानिदेशक (डी जी एम एस) की मंजूरी से हुआ, जबकि संबंधित खदान की असुरक्षित स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ था और न ही ठेकेदार ने खदान के ऊपर झुके विशालकाय बोझ को हटाने या खदान की सुरक्षा के कोई उपाय किये थे।
4. 27 दिसम्बर को पहली पाली के मजदूरों ने खदान के मुहानों पर झुके और लगातार जमा हुए इस विशालकाय बोझ में दरार देखी और इसकी सूचना तुरंत ही प्रबंधन को दी। लेकिन कुछ नहीं किया गया। 28 दिसम्बर, 2016 की दूसरी पाली तक यह दरार और चौड़ी हो गयी। मजदूरो ने प्रबंधन को सूचित करने के साथ ही ऐसी स्थिति में काम करने का विरोध किया लेकिन निजी ठेकेदार ने बर्खास्त करने की धमकी देकर काम पर लगने को बाध्य किया।
5. मजदूरों ने बताया है कि दुर्घटना से पूर्व, करीब 1किलोमीटर लम्बाई व 500 मीटर चौड़ाई वाले खदान के मुंह के चहुंओर इकटठ्ा विशालकाय बोझ की ऊंचाई अलग–अलग जगहों पर 700 से 800 फुट थी। इस विशालकाय बोझ को, बुनियादी सुरक्षा नियमों को पूरी तरह से उल्लघंन करते हुए कम से कम 60 मीटर दूर रखने के बजाय मुंह के किनारों पर एकदम नजदीक जमा किया गया। यह समझ से परे है कि डी जी एम एस ने खनन की मंजूरी कैसे दी या ठेकेदार द्वारा गलत तरीकों का इस्तेमाल कर मंजूरी ली गयी।
6. दुर्घटना 29दिसम्बर, 2016 को दूसरी पाली में लगभग 7.30 बजे शाम को उस समय हुई जब खदान के मुंह के ठीक ऊपर जमा यह विशालकाय बोझ खिसककर नीचे काम कर रहे मजदूरों पर जा गिरा।
7. दुर्घटना के समय 35 से 40 डम्पर अनपे आपरेटर और हैल्पर के साथ काम कर रहे थे। उस समय एक बेलचे वाला भी काम कर रहा था। इसका अर्थ है कि दुर्घटना के समय 70 से 80 मजदूर कार्य कर रहे थे। कुछ मजदूरों ने बताया कि दुर्घटना के समय 70 डम्पर कार्य में लगें थे।
8. जिस तरह से केवल 4 एक्सकेवेटर लगाकर बचाव कार्य चल रहा है, उस तरह से तो मलबा हटाने, लाशें बरामद करने और मरने वालों की सही संख्या पता करने में कम से कम एक वर्ष लग जायेगा, पूरी संभावना है कि इसे बीच में ही छोड़ दिया जायेगा, ऐसा लगता है कि संबंधित प्राधिकार को काम करते हुए दब गये मजदूरों की बेशकीमती जान की कोई परवाह नहीं है। मैं समझता हूँ कि मौजूदा एक्सकेवेटरों के स्थान पर 300 फुट ड्रेगलाइन्स को लगाकर समूचे मलबे को हटाकर लाशों को बरामद किया जाये।

यह स्पष्ट है कि, निजी ठेकेदार व ई सी एल के संबंधित प्रबंधन व डी जी एम एस की नापाक मिली भगत जानबूझकर ज्यादातर गैर–स्थानीय मजदूरों को लगाने वाली इन आऊटसोर्स खदानों में है तथा उत्पादन को अधिकतम कर अपने मुनाफे को अधिकतम करने की निजी ठेकेदार की हवस, सुरक्षा कारणों से बंद पड़ी खुली खदान में जबरदस्ती काम शुरू कराने और इस त्रासद दुर्घटना का कारण है। ठेकेदार ने 27 व 28 दिसम्बर को मजदूरों द्वारा बार–बार चेतावनी देने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया। यह ठेकेदार द्वारा डी जी एम एस समेत संबंधित अधिकारियों के साथ मिली भगत से किया गया अपराध है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं 2 जनवरी 2017 के आपको लिखे अपने पत्र की विषयवस्तु को दोहराते हुए अनुरोध करता हूँ, कि:

0 मै. महालक्ष्मी इन्फ्रा लिमिटेड का करार अवश्य ही रद्द किया जाना चाहिए तथा संबंधित खनन क्षेत्र को ई सी एल के विभागीय संचालन के तहत लाया जाये।

0 खदान सुरक्षा के मूल–भूत नियमों की जानबूझ कर अनदेखी करने के कारण इतने मजदूरों की मृत्यु के लिए महालक्ष्मी इन्फ्रा के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाये।

0 इस भयानक त्रासदी की जिम्मेदारी तय करने तथा आपराधिक लापरवाही व कार्य स्थल पर सुरक्षा व मानक नियमों का उल्लंधन करने वालों को कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित ई सी एल अधिकारियों व डी जी एम एस अधिकारियों की परोक्ष या अपरोक्ष रूप से निजी ठेकेदार को इस आपराधिक कृत्य में भूमिका की स्वतन्त्र एजेंसी से जाँच करायी जाये।

0 अंजनी हिल्स खदान दुर्घटना में कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी द्वारा, गुमशुदा दिखाये गये लोगों समेत दुर्घटना का शिकार बने मजदूरों के परिवारों को समुचित मुआवजा (12,5 लाख) सुनिश्चित किया जाये।

0 दुर्घटना के शिकार लागों के निर्भरों में से एक को ईसी एल में स्थायी रोजगार दिया जाये।

झारखंड दुर्घटना के साथ, खान मजदूरों के लिए सबसे जानलेवा रहा 2016 का साल

बृहस्पतिवार की रात को झारखंड में ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड की लाल मटिया कोयला खदान के ढहने के साथ जमीन के नीचे गहराई में पसीना बहाने वालों के लिए एक बहूत ही जानलेवा वर्ष का अंत हुआ। 1 जनवरी तक 17 खदान मजदूरों की मृत्यु की जानकारी ने इस गुजरे वर्ष में खदानों में हुई मौतों की संख्या को तेजी से बढ़ा दिया जो इस वर्ष के पहले छह महीनों में कोयला व गैर–कोयला खदानों में 65 थी, जिसके बारे में ताजा आंकडे उपलब्ध हैं– यानि इसका मतलब है हर तीन दिन में एक मौत। एक दर्जन से ज्यादा मजदूर दबे हुए थे।

एक ऐसे क्षेत्र में, जिसका सुरक्षा रिकार्ड अच्छा नहीं रहा है, कम से कम 122 और ऐसे लोगों के बारे में सूचना हैं जो गंभीर दुर्घटना का शिकार बने, जिसका मतलब है कि हर डेढ़ दिन में एक गंभीर दुर्घटना। हर तीसरे दिन एक घातक दुर्घना के साथ, खनन, भारत में जहाज तोड़ने के काम के साथ सबसे खतरनाक पेशा है।

जुलाई से दिसम्बर 2016 तक दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या, जिसमें लाल मटिया खदान दुर्घटना शामिल होगी, इस वर्ष मरने वालों की संख्या का नया रिकार्ड बना देगी।

इस वर्ष हुई बड़ी दुर्घटनाओं में एक 28 मई की सुबह, राज्य के स्वामित्व वाली यूरेनियम कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यू सी आइ एल) की जमशेदपुर के निकट टुमराडीह यूरेनियम खदान में घटी दुर्घटना है, जिसमें उस समय तीन खनिक मारे गये जब वे 250 मीटर से ज्यादा की गहराई में गीले रेडियोधर्मी कीचड को साफ करते हुए दुर्घटनावश उसमें दब गये। टुमराडीह खदान झारखंड में जमशेदपुर से 6 कि० मी० दूर स्थित है।

इससे पहले, 14 अप्रैल को, सिंगारेनी कोलियरीज लिमिटेड (एस सी सी एल) के तीन मजदूर उस समय कुचल कर मर गये जब कोयला खदान की छत का एक हिस्सा उस समय उन पर गिर पड़ा जब वे दिन के बीच पानी पीने आये थे। तेलंगाना में मंडामर्री के निकट शांतिखानी मेन साइट पर चार में से एक मजदूर मामूली चोटों के साथ बच गया।

ईस्टर्न कोल फील्ड्स जहाँ यह ताजातरीन दुर्घटना घटी है, दुनिया के सबसे बड़े कोयला खनिक, राज्य स्वामित्व के कोल इंडिया लिमिटेड (सी आइ एल) की सब्सिडियरी है।

उद्योग के अंदरूनी लोगों, जिनमें सी आइ एल के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, ने माना है कि मरने वालों की आधिकारिक संख्या गहरी खदानों में होने वाली मौतों की वास्तविक संख्या से कहीं कम हो सकती हैं।

इसमें दो अन्य गंभीर मुद्दे भी हैं। एक, यह कि हालांकि राज्य स्वामित्व वाली कोयला फर्मो के कर्मचारियों को उन्हीं एक जैसे नियमों के तहत शामिल किया जाता है जैसे कि कहें एअर इंडिया के कर्मियों को, परन्तु दुर्घटनाओं के मामले में उन्हें कम भुगतान किया जाता है। चोटों व मौत होने पर मुआवजा 5.4 लाख रूपये से 8.5 लाख तक रहता है, शायद ही कभी यह 10 लाख के पार जाता हो, और लम्बे समय से प्रकिया के तहत है। दूसरा यह कि मरने वालों में जो ठेका मजदूर होते हैं उनके, या उनके परिवारों के पास इस भुगतान के अलावा सुरक्षा का कोई साधन नहीं होता है।

रिकार्ड दिखाते हैं कि भारत में होने वाली बहुमत खान दुर्घटनायें खदान छत या उसकी दीवारों के ढ़ह जाने से होती हैं। खदान मंत्रालय ने लाल मटिया दुर्घटना को एक ''अभूतपूर्व'' घटना करार दिया है। ''प्रथम दृष्टया यह देखने में आया है कि घटना अभूतपूर्व है, क्योंकि 300 मीटर लम्बा और 110 मीटर चौड़ा 95 लाख घन मीटर भू–सामग्री वाला अत्यधिक बोझिल डंप एरिया कोई 35 मीटर खिसककर नीचे आ गिरा। ऐसा छिपी हुई फॉल्ट लाइन/स्लिप के साथ लगी बेंच एज की कमजोरी के कारण हो सकता है; मंत्रालय ने 30 दिसम्बर को दिये बयान में कहा।

घटनास्थल पर मौजूद रहे गवाहों ने पक्का किया है कि झारखंड के गोड्डा जिले में इस खुले मंह वाली परियोजना में धंसने की इस दुर्घटनाओं से कम से कम तीन घंटे पहले एक के बाद एक बड़े पत्थरों के गिरने के रूप में चेतावनी के संकेत मिले थे। जहाँ आधिकारिक आंकडे यह दिखाते हैं कि औसत मृत्यु दरों व गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आयी है– खदान सुरक्षा महानिदेशक के आंकड़े कि भारत में वार्षिक घातकता की दर 0.21 है, (खदानों की

कुल संख्या को गिनती में लेते हुए), जो पाँच वर्ष पहले की 0.36 से कम है–यह स्थिति नीति निमार्ताओं के लिए राहत की बात है, कि 2015 में औसतन 1 करोड़ टन कोयला निकालने में 7 जानें गवानी पड़ी। पिछले वित्त वर्ष के 7 करोड़ टन कोयला उत्पादन के लक्ष्य को घ्यान में रखते हुए यह 12 महीने में 50 मौतों के करीब बैठता है।

विशेषज्ञों को डर है कि अर्थव्यवस्था में कोई उभार, सीधे तौर पर, उत्पादन बढ़ायेगा, इसलिए खदान मजदूरों की सुरक्षा की पुनः समीक्षा की जानी चाहिये। भारत 89 खनिजों का उत्पादन करता है, यहाँ 569 कोयला खदानें, 67 तेल व गैस खदानें है, 1,770 गैर कोयला खदाने व कितनी ही छोटी खदाने हैं जिनकी संख्या 1 लाख से ऊपर बैठेगी। इन खदानों में औसतन दिहाड़ी पर प्रतिदिन 10 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं और यह क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पादन में लगभग 5 प्रतिशत का योगदान देता है।

2009 ओर 2013 के बीच, श्रम व रोजगार मंत्रालय के खदान सुरक्षा के महानिदेशक के कार्यालय के अनसार भारत में खनन कार्यों में 752 घातक दुर्घटनायें हुई इनमें सी आइ एल, नेयवेल्ली लिग्नाइट कार्पोरेशन व सिंगारेनी कोलियरीज में हुई दुर्घटनायें शामिल हैं।

1973 में कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम पारित कर निजी क्षेत्र की खदानों को अधिग्रहीत किये जाने के पीछे एक कारण खदानों में खराब सुरक्षा का होना था। कोयला खदानों में निवेश की कमी को इतनी ज्यादा मौतों का एक प्रमुख कारण बताया जाता है। खुले मुंह वाली कोयला खदानों में भारी मशीनरी के साथ कोयले के परिवहन से संबंधित दुर्घटनायें विस्फोटकों के इस्तेमाल के अलावा मौतों के अन्य प्रमुख कारण हैं।

(इंडियन एक्सप्रेस से; 3 जनवरी,2017)

कोल माफिया द्वारा अवैध खनन में 50 मजदूर जिंदा दफन

पश्चिम बंगाल विधान सभा के तीन विधान सभा सदस्यों–रूना दत्ता, सुजित चक्रबर्ती व अजित रॉय ने 14 जनवरी, 2017 को बांकुरा के पुलिस अधीक्षक को लिखे एक पत्र में, पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के मोजिया में ई सी एल के सतग्राम इलाके के तहत कालीदास पुर परियोजना में कोयला माफिया द्वारा कोयले के अवैध भूमिगत खनन के दौरान 12 जनवरी की दोपहर धंसान के चलते 50 मजदूरों के जिन्दा दफन हो जाने और केवल 4 के शव बरामद होने की जांच और कार्रवाई की माँग की।

सीटू के 15वें सम्मेलन का प्रस्ताव
कार्य स्थल पर सुरक्षा व व्यवसायिक स्वास्थ्य के बारे में

सीटू का 26–30 नवम्बर, 2016 तक ओडिशा के पुरी में हो रहा 15वाँ सम्मेलन, देश भर में कार्यस्थलों पर मजदूरों की मौतों और चोटों के कारण उन्हें स्थायी व अस्थायी रूप से विकलांग बना देने वाली दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या पर गहरी चिन्ता व्यक्त करता है। व्यवसायिक स्वास्थ्य के लिए खतरों के बारे में सरकार और नियोक्ताओं की ओर से लगातार बरती जा रही लापरवाही लाखों मजदूरों की जिन्दगी व जीविका को प्रभावित कर रही है।

वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस (वुफ्टू) के अनुसार, ''दुनिया भर में हर दिन घटित होने वाली दुर्घटनाओं में 6300 मौतें होती हैं। हर वर्ष, 20 करोड़ मजदूरों को कार्य संबंधी दुर्घटनाओं और पेशागत बीमारियों के कारण मृत्यु और स्थायी विकलांगता का शिकार होना पड़ता है। यहाँ तक कि आइ एल ओ ने भी दुनिया भर में व्याप्त इस संकट के बारे में गंभीर चिन्ता व्यक्त की है।

उनका अनुमान है कि दुर्घटनाओं के चलते 4 प्रतिशत सकल धरेलू उत्पादन की हानि होती है जो एक वर्ष में 1995 की कीमतों के स्तर के हिसाब से लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर या 75 लाख करोड़ रूपये के बराबर बनता है।'' हमारे देश में, स्थिति और भी खराब है। कार्य स्थल संबंधी दुर्घटनाओं के चलते होने वाले नुकसान विश्व औसत से अधिक, जी डी पी का 6 प्रतिशत या 4.2 लाख करोड़ रूपये प्रतिवर्ष है। कारखानों, खदानों, बिजली क्षेत्र, ऑयल रिफाइनरीज, निर्माण, सेवा क्षेत्र आदि में प्रति वर्ष हजारों मजदूर मारे जा रहे हैं और लगभग इसके दोगुने, हाथ–पाँव खो देने समेत गंभीर चोटों का शिकार होते हैं; लेकिन, ऐसी दुर्घटनाओं का एक बहुत ही छोटा हिस्सा आधिकारिक रूप से बताया जाता है।

व्यापार को आसान बनाना सुनिश्चित करने के लिए कारखानों के नियमित निरीक्षण का काम एक तरह से छोड़ दिया गया है। कारखानों मालिकों के लिए, फैक्टरी इंस्पेक्टर को दुर्घटनाओं के बारे में बताना जरूरी नहीं है और इसीलिए बहुमत दुर्घटनाएं सामने नही आ पातीं। अधिक उत्पादन के लिए बचाव के उपायों पर घ्यान न देना और काम के तौर–तरीकों के मानकों का पालन न होना, अंधाध ुंध ठेकाकरण और मूल उत्पादन कार्य आऊटसोसिंग तथा सस्ते दरों पर गैर प्रशिक्षित या प्रशिक्षुओं से काम कराना आदि, कार्य स्थलों पर घटित होने वाली अधिकतर दुर्घटनाओं के कारण हैं।

श्रम विभाग द्वारा औद्योगिक दुर्घटनाओं के बारे में प्रकाशित आधिकारिक रिकार्ड में दर्ज बहुत ही कम संख्या वास्तविकता के आस–पास भी नहीं है। 2015–16 में, फैक्टरियों में घटित दुर्घटनाओं में जानलेवा को मात्र 144 दिखाया गया है जो वास्तव में हुई मौतों व चोटों की शिकार मजदूरों की वास्तविक संख्या से बहुत ही कम है, जिनमें से अधिकतर ठेका मजदूर हैं।
बिजली की चपेट में आने से होने वाली मौतों की संख्या 2013व 2014 में क्रमशः 10218 और 9606 बतायी गयी, जिसमें 15 प्रतिशत से ज्यादा बिजली व अन्य उद्योगों के मजदूर, विशेषकर ठेका मजदूर हैं। अकेले महाराष्ट्र में ही, 2014 15 में बिजली दुर्घटनाओं के कारण एस इ डी सी एल में 759 मजदूरों की मौत हुई।
सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयन्त्रों में, पिछले एक वर्ष में 30 मजदूरों की मौत हुई और लगभग इससे दूने गंभीर चोटिल हुए, जबकि निजी इस्पात संयन्त्रों में, जिन्हें अधिकतर ठेका मजदूरों द्वारा चलाया जाता है, दुर्घटनाओं में 200 से ज्यादा मौतें हुई हैं। और यदि आतिशबाजी बनाने वाले कारखानों, रसायनिक कारखानों में आग व धमाकों तथा इमारतों के गिरने समेत निमार्ण क्षेत्र में हुई दुघटनाओं आदि में पिछले 10 वर्ष के दौरान हुई मौतों व गंभीत चोटों को गिनती में लिया जाये तो मरने वालों की यह संख्या अधिकारिक अनुमानों से कोई 10 गुना ज्यादा होगी। खदान क्षेत्र, कोयला व गैर कोयला में पिछले 3 वर्षों के दौरान दुधटनाओं में मरने वालों की संख्या 340 व गंभीर धायल होने के 1195 मामले सामने आये है। बढ़ती सड़क दुर्धटनाओं में जिनकी संख्या प्रतिवर्ष लगभग 4.5 लाख से 5.10 लाख है, 18 लाख लागों की मृत्यु होती है और 5.4 लाख धायल होते हैं।

पदार्थों के रख–रखाव, घ्वनि प्रदूषण, गैस प्रदूषण, जहरीले महीन रसायनयुक्त धूल कणों आदि के कारण व्यवयायिक स्वास्थ्य के लिए पैदा खतरों के बाबत सुरक्षा उपायों के उलंधन के चलते विभिन्न उद्योगों में बड़े पैमाने पर मजदूरों के स्वास्थ्य व उनकी उम्र पर घतक प्रभाव पड़ रहा है। त्रासदी पूर्ण यह है कि टीबी समेत फेफड़ों की बीमारियों को व्यवसायिक बीमारियों में नहीं गिना जाता है।
व्यवसायिक अस्थमा, एस्बंस्टोसिस, मिनीकोमिस, न्यमोकोनियोमिस, प्ल्यूरल म्यूसोथेलियोमा, ध्वनि जनित श्रवण शक्ति ह्रास, क्षयरोग आदि व्यवसायिक बीमारियाँ बड़ी संख्या में मजदूरों को कार्यस्थलों पर अपनी गिरफ्तार में ले लेती हैं। जिसमें उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने के साथ ही वे समय से पूर्व ही मृत्यु की और धकेले जाते है या विक्लांगता के शिकार हो जाते हैं क्योंकि नियोक्ता वर्ग के द्वारा अपने मुनाफों के लालच में सुरक्षा उपायों व नियमित स्वास्थ्य जाँच – पड़ताल के वैधानिक प्रावधानों को नजरंदाज व उनका उल्लंघन किया जाता है।
पत्थर तोड़ने और निर्माण कार्य के दौरान होने वाली सिलीकोसिसः एस्बेस्टस से होने मेसोथेलियोमा के घातक प्रभाव दर्ज भी नहीं हो पाते। इस संदर्भ में मध्यप्रदेश के असंगठित क्षेत्र के गुजरात में काम करने वाले सिलीकोसिस से ग्रस्त मजदूरों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2015 में दिया गया फैसला ध्यान देने योग्य है।
उच्चतम न्यायालय ने गुजरात सरकार को मृत 238 मजदूरों में हर एक के लिए 3 लाख रूपये मुआवजा देने का और मध्यप्रदेश सरकार को अन्य 304 बीमार मजदूरों का पुनर्वास करने का निर्देश दिया, इस कानूनी लड़ाई में 10 वर्ष लगे। इसलिये यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ट्रेड यूनियनों को व्यवसायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य को अवश्य ही गंभीरता से लेना चाहिये। खतरनाक कार्य स्थ्लों में काम करने के दूरगामी खतरनाक परिणामों को स्वीकार किया जाना अभी बाकी है। वास्तव में रसायनिक, सीमेंट, जहाज तोड़ने, आतिशबाजी, प्लांटेशन आदि के मजदूरों की बीमारीयों के शिकार मजदूरों के बचाव, सुरक्षा व समस्याओं के हल के लिए कानून बनाया जाना चाहिये।

तेजी से उभरते आई टी व आई टी ई एस जैसे क्षेत्र में भी मजदूरों को थकान, हाथों में खिंचाव व र्दद (कार्पल टनेल सिंड्रोम), आखों को नुकसान पहूचाने वाली किरणों, हडड़ी–पेशी गड़बड़ी आदि जैसे कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है।
लेकिन, इन्हें सुरक्षा के मुदद्ों संबंधी प्रावधानों में जगह देने के बजाय सरकार आई टी उद्योगपतियों को संतुष्ट करने के लिए आई एल ओ के कन्वेंशन संख्या 155 को आंशिक रूप से सहमति देने की प्रक्रिया शुरू करते हुए आई टी और आई टी ई एस सैक्टर को इस दायरे से बाहर रखने की कोशिश कर रही है। सरकार ने, व्यवसायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य पर अपनी नीति को अद्यतन करने के लिए हाल ही में त्रिपक्षीय कार्यबल का गठन किया है।
सीटू ने भी इसमें भाग लिया है। इस समूह ने कुछ तब्दीलियों को अन्तिम रूप दिया है जो एक वर्ष से सरकार के पास पड़ी हैं। आई एल ओ कन्वेंशन पर हामी भरने की कोशिश में ही सरकार ने आई टी सैक्टर कर्मचारियों, दफ्तरों में काम करने वालों और सबसे गंभीर यह कि खेतमजदूरों को व्यवयायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य से बाहर रखने की बुरी हरकत की। सीटू ने इसका प्रतिवाद किया और सरकार अभी तक इसपर हामी नहीं भर पायी है।

कारखाना अधिनियम को संशोधित करते हुए, यह बताया गया कि निरीक्षण वेब आधारित रिस्क वेटेड रेंडम इंस्पेक्शन स्कीम के तहत किये जायेंगे जो अपने आप में निरीक्षण की व्यवस्था को ही निष्प्रभावी बनाता है।
कारखनों में सुरक्षा परिषदों के नाम परें कुछ नहीं है और सुरक्षा अधिकारी को तभी नियुक्त किया जायेगा जब कारखाने में 500 या ज्यादा लोग काम करते हों। कार्य स्थलों में बुनियादी सुरक्षा उपायों की पालना न होने के चलते बड़ी संख्या में मजदूर प्रभावित होंगे।

कार्यस्थलों पर सुरक्षा और व्यवयायिक स्वास्थ्य के मुद्दों को, कुछ अपवादों को छोड़कर ज्यादातर ट्रेड यूनियनों के एजेंडे में वह प्राथमिकता मिलनी बाकी है जो उसे दी जानी चाहिये। सब कुछ, नियोक्ताओं के रहमोकरम पर है, यहाँ तक कि कार्यस्थलों पर दुर्घटनाओं का शिकार होने वालों के लिए मुआवजा व पुनर्वास भी, तथा लगभग सभी मामलों में शिकार हुए मजदूरों को मुआवजे आदि से वंचित रखा जाता है और दुर्घटना के कारणों को रफा–दफा कर फिर से काम के खतरनाक हालात को चालू रखा जाता है।

समूचे देश में चिंता जनक स्तर तक बिगड़ी इस स्थिति में कार्य स्थलों पर सुरक्षा व व्यवसायिक स्वाथ्य के मुद्दों को ट्रेड यूनियनों को कहीं ज्यादा गंभीरता से लेना होगा। एक तरफ तो कार्यस्थलों पर होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में और व्यवसायिक बीमारियों के खतरनाक प्रभावों के बारे में मजदूरों के बीच जागरूकता पैदा करनी होगी ताकि वे ज्यादा बेहतर व संगठित हस्तक्षेप कर पायें।
जीविका के मुद्दों के साथ–साथ सुरक्षा और व्यवसायिक स्वास्थ्य के मुद्दों को ज्यादा आक्रामक तरीके से सामूहिक सौदेबाजी के ऐंजडें में लाना है।
सरकार से अवश्य ही विस्तृत दायरे, मजदूर निरीक्षण तथा क्रियान्वयन की देखरेख करने के लिए तथा उल्लंघन होने पर बड़ी सजा लागू करने के साथ समुचित कानून की मांग की जानी चाहिए।
व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरों के मामले में व्यवसायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य पर आई एल ओ के कन्वेंशन संख्या 176 समेत सुरक्षा संबंधी आई एल ओ के सभी कन्वेंशनों पर अपनी सहमति देने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाना चाहिए। हमें अधिसूचित की जा समने वाली व्यवसायिक बीमारियों की सूची को विस्तार देने की, एस्बेस्टस को प्रतिबंधित करने व उसके कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के समुचित प्रनर्वास की, धूल, गर्मी, जहरीले रसायनों व गैस के खिलाफ प्रतिबंध व बचाव के लिए खसतौर पर आई टी उद्योग में तनाव व दबाव के संदर्भ में समतुचित कानून और उसके कार्यस्थलों में लागू होने को सुनिश्चित करने वाली मशीनरी की माँग करनी चाहिए। इसके साथ ही हमें, ऐसे खतरों को यदि पूरी तरह खत्म न किया जा सकता हो तो उन्हें कम से कम करने के लिए उत्पादन/परिचालन प्रक्रिया में सही वैकल्पिक प्रोद्योगिकी को अपनाने की माँग भी करनी चाहिए। यह नजरिया कार्यस्थल पर सुरक्षा व व्यवसायिक स्वास्थ्य के संघर्ष को प्रदूषण की बड़ी समस्या के साथ जोड़ने में भी कारगर होगा।

सम्मेलन ट्रेड यूनियन आन्दोलन का और खासतौर पर सीटू यूनियनों का आह्वान करता है कि वे नवउदारवादी नीति निजाम के खिलाफ संघर्ष में सुरक्षा व व्यवसायिक स्वास्थ्य मे संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता का एजेंडा बनायें तथा इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए अपने आपको समुचित रूप से लैस करने के लिए पहलकदमी करें।

स्टील मजदूरों का राष्ट्रीय कन्वेंशन

स्टील मजदूरों की यूनियनों के संयुक्त मोर्चे ने सलेम, भद्रावती व दुर्गापुर स्थित सेल के तीन प्रीमियर स्टील संयन्त्रों का निजिकरण करने के मोदी सरकार के कदम के खिलाफ छत्तीसगढ़ के भिलाई में संयुक्त रूप से विरोध करते हुए एक विशाल कन्वेंशन किया।

कन्वेंशन ने सरकार के निजीकरण के कदम के खिलाफ एक संयुक्त टिकाउ संघर्ष खड़ा करने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि स्टील उधोग को आज जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनके लिए मुख्यत सरकार की नीति की कमी जिम्मेवार है।
कन्वेंशन की अध्यक्षता करते हुए हिन्दुस्तान स्टील एम्पलाइज यूनियन, भिलाई (सीटू) के अध्यक्ष ने कहा, 70 वर्ष पूर्व देश की आत्मनिर्भर यात्रा के लिए भिलाई स्टील संयंत्र स्थापित किया गया था।

कन्वेंशन को यूनियनों के संयुक्त मोर्चे के राष्ट्रीय संयोजक पी के दास ने संबोधित किया। इंटक महासचिव ने इंटक अध्यक्ष डॉ. संजीव रेड्डी का उदघाटन भाषण पढ़ा। सीटू महासचिव, सांसद तपन सेन ने कन्वेंशन को संबोधित किया।
कन्वेंशन को संबोधित करने वालों में एटक यूनियन के महासचिव आदिनारायण, एम एच एस के नेता राजेन्द्र सिंह व उसकी यूनियन के महासचिव जे एन चन्द्राशा, सलेम स्टील संयंत्र से पन्नेर सवम, इंटक समेम के टी देबराज, इंटक यूनियन के अध्यक्ष विकास घटक, सीटू के जे पी बनर्जी व अयोध्या राम, इस्पात श्रमिक मंच के नेता भाव सिंह सोनेवानी तथा एक्टू के बिजेन्द्र तिवारी शामिल थे।

नोट बंदी का विरोध

विफल घोषणायें; परिणाम और मुसीबतें; वास्तविक मंशा और कार्पोरेटों को सौगात

प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवम्बर को 1000 व 500 रूपये के नोटों को बंद करने की धोषणा ने अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से को भारी नुकसान पहुँचाया है, करोड़ों लोगों को मुसीबतों में धकेल दिया और आजीविका की हानि हुई। पचास दिनों की समय सीमा की प्रधानमंत्री की अपील, जिसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया था कि सब सामान्य हो जायेगा के बीत जाने के बाद भी स्थिति सामान्य नहीं हो पायी है। बल्कि इसके विपरित, लोगों की मुसीबतों का बढ़ना जारी है। बैंकों में जमा लोगों के अपने ही पैसे की निकासी पर लगी रूकावटें जारी हैं।

चारों उद्देश्यों–काले धन पर प्रहार; भ्रष्टाचार; नकली नोट व आतंकवाद में से एक भी इस कदम के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका है। प्रधानमंत्री ने स्वयं सार्वजनिक रूप से कहा था कि काले धन का 90 प्रतिशत से ज्यादा विदेशों में कर स्वर्गों में रखा हुआ हैं। इसके एक रूपये को भी छुआ नहीं गया है और न ही इस धन की वसूली के लिए कोई कदम लिया गया है। बंद की गई लगभग सारी मुद्रा के बैंकों में वापिस आ जाने के साथ यह स्पष्ट है कि जो भी काला धन नकदी के रूप में रोक रखा गया था वह सब सफेद हो गया है और बैकों में जमा है। बैकों में कुल कितना पैसा जमा हुआ है यह आंकड़ा अभी सार्वजनिक किया जाना बाकी है। यदि यह वापिस लिए गये नोटों की कीमत से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि चलन में रही जाली मुद्रा भी वैध हो गयी है। भारी मात्रा में नये नोटों की जब्ती इस तथ्य की धोतक है उच्च स्तर का भ्रष्टाचार कायम है। भ्रष्टाचार को दूर करने की बजाय इस कदम ने भ्रष्टाचार के नये–नये और कहीं बड़े रूप पैदा कर दिये हैं।

जहाँ तक आतंकवाद को पैसा मिलने का संबंध है तो इस नोटबंदी से इस पर कोई असर नहीं पड़ा है यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि 30 सितम्बर की सर्जिकल स्ट्राईक के बाद से हुए आतंकवादी हमलों में सुरक्षा बलों के 33 कर्मियों की जान जा चुकी है। परिणामस्वरूप 2016 में सुरक्षा बलों के कर्मियों की मृत्यु का आंकड़ा 2015 की तुलना में दोगुना हो गया है।

इस नोटबंदी से करोड़ों भारतीयों की जिन्दगी तबाह हो गयी। देश की आर्थिक गैर–बराबरी पर भी इसका असर होना तय है। भाजपा के केन्द्र की सत्ता में आने के दो वर्षो में ही गैर–बराबरी तेजी से बढ़ी है। 2014 में भारत की अति धनियों की 1 प्रतिशत आबादी के पास हमारी जी डी पी के 49 प्रतिशत के बराबर धन संपदा थी। 2016 तक, प्रधानमंत्री मोदी की नवउदारवादी नीतियों के चलते यह आंकड़ा बढ़कर 58.4 प्रतिशत पर पहुँच गया है। नोटबंदी के इन प्रभावों के कारण अमीरों का और अमीर होना तथा गरीबों का और गरीब होना तय है।

सभी धोषित उद्देश्यों को पाने में असफलता के साथ ही नकदी की अर्थव्यवस्था को बदलकर डिजीटल अर्थव्यवस्था में ले जाने का नोटबंदी का असली मकसद स्पष्ट हो गया है।

डिजीटल भुगतान की ओर बदलाव का यह शोर इसलिए बेसिर–पैर का है क्योंकि ग्रामीण भारत में केवल 13 प्रतिशत, 83 करोड़ 40लाख लोगों में से 10 करोड़ 80 लाख की पहुँच ही इंटरनेट कनेक्शनों तक है। केवल 26 प्रतिशत की पहुँच स्मार्ट फोन तक है। इस तरह नकद लेन–देन पर इस भारी निर्भरता को देखते हुए, बहुत से सैक्टरों में भारी तबाही हुई है।

इसके साथ ही, डिजीटल लेन–देन पर जोर दिये जाने से अंतराष्ट्रीय वित्तीय पूँजी व कार्पोरेटों को अपने मुनाफों को अधिकतर करने की सौगात मिली है। प्रत्येक डिजीटल लेन–देन में लागत आती है जो उपभोक्ता के लिए जहाँ एक अतिरिक्त बोझ है वही कार्पोरेट के लिए मुनाफे का श्रोत। साफ है कि नोटबंदी की यह कार्रवाई इस सरकार के द्वारा भारत को नव–उदारवाद के सामने झुका देने की मुहिम के हिस्से के तौर पर की गयी है।

(सी पी आइ (एम) केन्द्रीय समिति की विज्ञाति से; 8 जनवरी 2017)

नोटबंदी के खिलाफ ट्रेड यूनियनों का संयुक्त देशव्यापी आंदोलन

सभी 10 केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों की उपस्थिति वाली 11 जनवरी को हुई बैठक में 28 जनवरी को राज्यों की राजध ानियों/जिला मुख्यालयों/औधोगिक केन्द्रों पर नोटबंदी के विरोध में संयुक्त देशव्यापी प्रदर्शनों का आहवान किया गया। कई ट्रेड यूनियनों की ओर से पहले ही जारी विरोध के मद्देनजर केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों ने आंदोलन को संयुक्त रूप से आगे ले जाने का फैसला किया है।

नोटबंदी के खिलाफ सीटू का विरोध

झारखंड

ओडिशा

उत्तर प्रदेश

उत्तराखंड

नोटबंदी के खिलाफ सीटू का विरोध

आंध्र प्रदेश

केरल

दिल्ली

हरियाणा

पंजाब

योजना कर्मियों की हड़ताल

कोलकाता, पश्चिम बंगाल

अगरतला, त्रिपुरा

भुवनेश्वर, ओड़िशा

हरियाणा

लुधियाना, पंजाब

योजना कर्मियों की हड़ताल

आंध्र प्रदेश

तेलंगाना

तमिलनाडु

संयुक्त बयान में कहा गया है, ''पिछले दो महीने से सारे देश से हजारों छोटे व मध्यम प्रतिष्टानों के बंद होने की रिपोटे आ रही हैं, निर्माण, भठठों, टेक्सटाईल व गारमेन्ट्स, ज्यूलरी, चमड़े, खेल का सामान बनाने आदि में काम करने वाले लाखों प्रवासी मजदूरों का काम चला गया है। ऑल इंडिया मेन्युफैक्चरर्स एसोसिशन के हालिया अध्ययन के अनुसार, नोटबंदी के शुरू होने के पहले 34 दिनों में सूक्ष्म व लधु उद्योगों में 35 प्रतिशत रोजगार का नुकसान हुआ और उनका राजस्व 50 प्रतिशत कम हो गया। इसमें, मार्च 2017 तक राजगार में 60 प्रतिशत की कमी होने और राजस्व में 55 प्रतिशत के नुकसान की बात भी कही गयी है। बडे पैमाने पर गांवों की ओर उलट प्रवास हुआ है। नोटबंदी के इस हमले और उसके प्रभाव से 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गयी। इससे पहले ही से चौड़ी गैर–बराबरी की खाई और चौड़ी होगी। इसका एकमात्र उद्देश्य लोगों से उनका पैसा खींचकर बैंकों में फिर से पूंजी भंडार कर वित्तीय पूंजी की मदद करना रहा ताकि बैंक बड़े कार्पोरेटों व व्यापारिक घरानों को सस्ता कर्ज दे सकें।
सरकार, प्रतिवर्ष 5 लाख करोड़ रूपये के परोक्ष कर की अदायगी न किये जाने के चलते देश में पैदा किये जा रहे विशाल काले ध ान की वसूली के लिए, वस्तु बाजार में सट्टेबाजी के खिलाफ, बड़े व्यापारियों द्वारा देशी व विदेशी लेन–देन के हिसाब को कम या ज्यादा दिखाने के खिलाफ, जान–बूझकर बैंकों का कर्ज अदा न करने आदि के खिलाफ ठोस कार्रवाई से इनकार कर रही है किसानों को उनके उत्पाद को कम दाम पर बेचने पर बाध्य किया जा रहा है
मजदूरों की मुसीबतों को दूर करने के लिए कदम उठाने के बजाय सरकार उन लोगों पर, जो अपनी मुसीबतों को बता रहे हैं, काला धन रखने वालों का, भ्रष्ट होने व देशद्रोही होने का ठप्पा लगा रहीं है। यह कुछ और नहीं बल्कि सरकार और भाजपा नेताओं की निरंकुश प्रवृत्तियों का स्पष्ट प्रदर्शन है।

3 जनवरी का सीटू का देशव्यापी विरोध

सीटू के आवहान पर, किसानों व अन्य मेहनतकश तबकों की मुसीबतों के खिलाफ 3 जनवरी, 2017 को हजारों मजदूरों ने रैलियां निकालीं, प्रदर्शन व जन सभायें कीं। कुछ संबंधित रिर्पोट नीचे दी जा रही हैं।

दिल्ली–एन सी आर: सीटू के बैनर तले मजदूरों ने दिल्ली–एन सी आर के गाजियाबाद औद्योगिक क्षेत्र, मेरठ रोड, गाजियाबाद शहर; नोएडा; दक्षिण व उत्तर पश्चिम दिल्ली समेत कई ओद्योगिक व रिहायशी इलाकों में जुलुस निकाले, धरने व प्रदर्शन किये, परचे बांटे, जन–सभायें की तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पुतले फूंके तथा जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन दिये।

हरियाणा: रोजगार छिनने के बदले मुआवजा दिये जाने और जनता को जरूरी नकदी मुहैया कराये जाने की माँग करते हुए सीटू ने रोहतक में रैली आयोजित की व जनसभा कर मोदी सरकार का पुतला फूंका। सभा को सीटू राज्य महासचिव जयभगवान तथा राज्य के अन्य नेताओं व यूनियनों के नेताओं ने संबोधित किया।

उत्तरप्रदेश: सीटू ने लखनऊ में अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने धरना दिया व जन सभा की जिसे सीटू के राज्य व यूनियनों के नेताओं ने संबोधित किया। अन्य जिला मुख्यालयों पर भी कार्यक्रम आयोजित किया गया।

उत्तराखंड: सीटू के बैनर तले मजदूरों ने देहरादून में रैलियां निकाली, मुख्य मार्गों से गुजरते हुए जिला प्रशासन के सामने प्रदर्शन किया तथा जन सभा की/जन सभा को सीटू व उसकी यूनियनों के नेताओं ने संबोधित किया। विकास नगर उप–संभाग में भी सीटू यूनियनों के मजदूरों ने प्रदर्शन किया तथा चली गई नौकरियों के लिए मुआवजे की मांग करते हुए ए डी एम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया।

झारखंड: धनबाद जिले में डी वी सी श्रमिक यूनियन, मैथान ब्रांच ने जन सभा की जिसे यूनियन के नेताओं ने संबोधित किया।

केरल: 1000 और 500 रूपये के नोटों को बंद करने की सबसे ज्यादा मार आम जनता व दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ी। इन लोगों को काम न रहने व नकदी न होने के कारण फौरी रोजमर्रा के कामों को पूरा करने में संधर्ष करना पड़ रहा है। हजारों दिहाड़ी मजदूरों का काम चला गया है। ऐसे हालात में सीटू की केन्द्र की कमेटी ने 3 जनवरी, 2017 के राष्ट्रव्यापी विरोध का आहवान किया। जिस पर अमल करते हुए केरल के सभी जिलों में विरोध मार्च व सभायें की गयीं।

मजदूर- किसान- खेतमजदूर

19 जनवरी शहीदी दिवस

हन्नान मोल्ला

महासचिव, अखिल भारतीय किसान सभा

(पीपुल्स डेमोक्रेसी के 9–15 जनवरी, 2017 के अंक में प्रकाशित लेख के अंश)

सीटू, अखिल भारतीय खेतमजदूर यूनियन व किसान सभा ने संयुक्त रूप से 19 जनवरी को देशभर में शहीदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। उस दिन देश के सभी जिलों में, जहॉ–जहॉ में संगठन काम कर रहे हैं, जिला केन्द्रों पर जोरदार रैलियों व प्रदर्शनों का आयोजन किया जायेगा तथा मोदी सरकार की जनविरोधी, मजदूर विरोधी तथा किसान विरोधी नीतियों का विरोध किया जायेगा जिनका जनता के बहुमत पर विनाशकारी असर पड़ा हैं। कार्पोरेटपरस्त, सांप्रदायिक व तानाशाह केन्द्र की सरकार और कई राज्य सरकारें आक्रामक तरीके से नवउदार आर्थिक नीतियों को लागू करते हुए किसानों, खेतमजदूरों तथा संगठित–असंगठित क्षेत्र के तमाम मजदूरों पर अभूतपूर्व मुसीबतें थोप रही हैं। इसलिए हमारे संगठनों की यह जिम्मेदारी है कि हम शासक वर्गों के इस हमलों के खिलाफ संघर्ष में व्यापक जनता को लामबंद करें।

19 जनवरी एक शहीदी दिवस है। 1982 में उस दिन मजदूरों तथा किसानों के शानदार संघर्ष को देश भर में पुलिस के बर्बर दमन का सामना करना पड़ा था। उस दिन 10 मजदूर, किसान व खेत मजदूर साथी पुलिस गोलीबारी में शहीद हुए थे।

23 मार्च 1981 को ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति की बैठक दिल्ली में हुई थी। इसमें निर्णय लिया गया था कि देशव्यापी आंदोलन के माध्यम से जनता के जायज मुद्दों को उठाने के लिए बम्बई में एक राष्ट्रीय कन्वेंशन का आयोजन किया जायेगा। 4 जून, 1981 को सभी प्रमुख ट्रेड यूनियनें–सीटू, एटक, इंटक, एच एम एस, सार्वजनिक क्षेत्र की अखिल भारतीय फेडरेशनें तथा निजी क्षेत्र की भी बहुत सी फेडरेशनें कन्वेंशन में शामिल हुई थी। कन्वेंशन ने 19 जनवरी, 1982 को पहली अखिल भारतीय आम हड़ताल आयोजित करने तथा इसकी तैयारियों के लिए क्षेत्रीय कन्वेंशनों की श्रृखला, 3 नवम्बर, 1981 को देश के विभिन्न भागों में रैलियां करने तथा 23 नवम्बर, 1981 को एक विशाल संसद मार्च आयोजित करने का फैसला किया था। दिल्ली चलो के आह्वान के साथ किया गया यह संसद मार्च न केवल पहला बल्कि सबसे विशाल भी था जिसमें लाखों मजदूरों, कर्मचारियों, खेतमजदूरों व किसानों ने हिस्सा लिया था। इस ऐतिहासिक रैली ने राष्ट्र को 19 जनवरी, 1982 की अखिल भारतीय आम हड़ताल के लिए भी प्रोत्साहित कर दिया था। इस संघर्ष के लिए एक 13 सूत्री मांगपत्र तैयार किया गया था जिसमें मजदूर वर्ग की मांगों के अलावा किसानों व खेतमजदूरों की फसलों के लाभकारी दाम, न्यूनतम वेतन, खेतमजदूरों के लिए विस्तृत कानून व सामाजिक सुरक्षा, सभी आवश्यक वस्तुओं के वितरण वाली सार्वजनिक प्रणाली, तथा काला–बाजारियों व जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई आदि जैसी मांगें शामिल थीं। मजदूरों की महत्वपूर्ण मांगों में जरूरत आधारित न्यूनतम वेतन, सभी मजदूरों को बोनस के लिए बोनस एक्ट में संशोधन करने, जीवनयापन की लागत में बढ़ोतरी की सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति, गुप्त मतदान द्वारा यूनियन की मान्यता, 1980 के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम तथा 1981 के एस्मा को हटाने, तथा पूर्ण ट्रेड यूनियन अधिकार आदि, आंदोलन की बढ़ती चेतना का द्योतक था।

19 जनवरी, 1982 को हड़ताल विशाल, ऐतिहासिक व कामयाब थी। पश्चिम बंगाल व केरल में पूर्ण बंद था तथा मजदूरवर्ग के ज्यादातर केन्द्रों में सफल हड़ताल हुई थी। सरकार ने दमन चक्र चलाया और रेडियो व समाचारपत्रों में झूठ फैलाया। अंततः इंटक हड़ताल में शामिल नहीं हुई। परन्तु इस सबके बाबजूद यह हड़ताल देश में मजदूर वर्ग की सबसे सफल कार्रवाई थी।

किसानों व खेतमजदूर यूनियनों ने आम हड़ताल को समर्थन देते हुए इसमें बढ़चढ़ कर भागेदारी की। इसने हमारे जनता के आंदोलन के इतिहास में मजदूर–किसान एकता को एक सच्चाई बना दिया। 35 वर्ष पहले हुआ यह संघर्ष आजादी के बाद सबसे जुझारू ऐतिहासिक वर्ग संघर्ष था जब शहरी व ग्रामीण मजदूर एक साथ आये थे।

तमिलनाडु के ए आइ ए डब्ल्यू यू व बी के एम यू ने ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर ग्रामीण इलाकों में सफल हड़ताल की थी। अन्नाद्रमुक की सरकार द्वारा की गयी पुलिस फायरिंग में तीन साथी मारे गये थे। नागपट्टनम जिलें में, ए आइ ए डब्ल्यू यू के कार्यकर्ता कॉमरेड अंजन व कामरेड नगूरन, थिरूमगनामन में हुई पुलिस गोलीबारी में शहीद हुए थे। बी के एम यू के एक कार्यकर्ता कामरेड गणशेखरन, थिरू थुरई पूंडी में हुई पुलिस गोलीबारी में शहीद हुए थे। ट्रेड यूनियनों ने इन साथियों के परिवारों को सहारा देते हुए उनके लिए 40,000 रूपये का चंदा जमा किया था। तब से, सीटू लगभग 3 लाख रूपये जमा कर राज्य में प्रति वर्ष ए आइ ए डब्ल्यू यू को खेतमजदूरों को संगठित करने के लिए देती है।

उतर प्रदेश में भी, मजदूरों, किसानों खेतमजदूरों व छात्रों ने 19 जनवरी की आम हड़ताल में बढ़चढ़ कर भाग लिया था। हड़ताल के पहले, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र संघ ने बंद के समर्थन में विशाल सभा आयोजित की थी। कांग्रेस सरकार की पुलिस ने बर्बर लाठी चार्ज किया था और एस एफ आई नेताओं समेत 250 छात्रों को गिरफ्तार किया गया था। परन्तु इस सबके बाबजूद बंद को सफल होने से नहीं रोक पाये थे। उस दिन, बनारस जिले में, बनारस–मिर्जापुर रोड पर बाबुरी बाजार, जो अब चंदौली जिलें में है में मजदूरों, किसानों, खेतमजदूरों व छात्रों का भारी जमावड़ा हुआ था जिन्होनें सड़क को अवरूद्ध कर दिया था जिससे यातायात पूरी तरह चरमरा गया था। पुलिस इंस्पेक्टर सत्यनारायण सिंह के नेतृत्व में, वे ट्रक में भरकर पहुँचे पी ए सी बल ने शांतिपूर्ण धरने पर अंधाधुंध गोलीबारी की। किसान सभा के मंडल सचिव कामरेड भोला पासवान, जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे गोलीबारी में मारे गये। इसके बाद उनके छोटे भाई लालचंद पासवान जो एस एफ आइ के नेता और अशोक इंटर कॉलेज के संयोजक थे, ने नेतृत्व का मोर्चा संभाला। मगर उन्हें भी पुलिस ने गोली चलाकर मार डाला 32 अन्य साथी पुलिस गोलीबारी में घायल हुए थे। शहीद हुए दोनों भाई सी पी आई (एम) के सदस्य और किसान व छात्र नेता थे। उन्होंने मजदूर वर्ग और गरीबों के हित के संघर्ष में अपने जीवन का बलिदान दिया। कांग्रेस सरकार व उसकी पुलिस कायराना कार्रवाई जारी रखते हुए दोनों साथियों के मृत शरीरों को 75 किलोमीटर दूर ले गई और परिवारों को बिना सूचित किये चोरी–छिपे उन्हें जला दिया। लेकिन भोला–लालचंद ने अपने खून से मजदूर–किसान–छात्र एकता और सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष का शानदार इतिहास लिख दिया। (सीटू मजदूर, मार्च, 2016)

आम हड़ताल के तमिलनाडु के 3 शहीद

तमिलनाडु में 1982 में आम हड़ताल के दिन 3 साथी शहीद हुए थे। अंजन व नगूरन आज के नागपट्टिनम जिले के थिरूमयगमन गांव के खेतमजदूर थे। 19 जनवरी 1982 की सुबह–सुबह, इस लाल गांव के मजदूरों ने पहली बस को रोक दिया और पहियों से हवा निकाल दी। तीन घंटे बाद पुलिस आयी और गांव में दबिश दी, छापेमारी की, घरों को लूटा और जनता पर गोली चलायी जिसमें दो कामरेड शहीद हो गये। गांव में उनकी स्मृति में एक शहीद वेदी बनायी गयी है।

एक अन्य शहीद, आज के थिरूवलूर जिले के मन्नारगुडी के निकट गांव रेत्तईपुलि का साथी गणाशेखरन था। वह भी एक खेतमजदूर था और आम हड़ताल की कार्रवाई में बसों का चक्का जाम करने वालों में था। पुलिस ने हड़तालियों पर गोली चलाकर गणाशखेरन को मार दिया था।

लेकिन तीन दशक के संघर्षों के बाद भी, उनमें से बहुत सी मांगों को अभी तक भी सरकारों द्वारा नहीं माना गया हैं। दूसरी ओर, नवउदारवादी आर्थिक नीतियों पर अंधाधुंध व आक्रामक अमल के कारण मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गयी है। इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए, हमें अपनी एकता को मजबूत करना होगा और देश भर में संयुक्त संघर्ष खड़े करने होंगे।

शहीदी दिवस को संयुक्त रूप से मनाना उस दिशा की ओर एक कार्रवाई है। इस दिन हर जिले में आयोजित होने वाली विशाल जुझारू रैलियों में बड़ी संख्या में मजदूरों, किसानों व खेतमजदूरों को लामबंद किया जायेगा। इस वर्ष, नोटबंदी ने आम जनता के रोजमर्रा जीवन की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इस संघर्ष में इसे सामने लाया जायेगा।

इस संघर्ष का महत्व यह था कि इसमें ग्रामीण व शहरी मजदूरवर्ग एक साथा आया था और इसने मजदूर–किसान गठबंधन की नींव डाली थी। 10 मजदूर, खेतमजदूर, किसान व साथियों ने एक साझे संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी थी। यह एक प्रमुख व पहला देशव्यापी संयुक्त मजदूर–किसान संघर्ष था। इसका राजनीतिक महत्व बहुत अधिक था। देश की जनता की जनवादी क्रांति में, संघर्ष का मुख्य आलंबन मजदूरों–किसानों का गठबंध ही है। इस कारण से, राजनीतिक पार्टियों ने उस समय एक संयुक्त बयान में, किसानों की मांगों को उठाने के लिए मजदूर वर्ग को शाबासी दी थी। कामरेड बी टी रणदिव ने ट्रेड यूनियनों की इस भूमिका की सराहना की थी और भविष्य में इस चेतना को और बढ़ाने का आह्वान किया था।

इसे ध्यान में रखते हुए, सीटू, ए आइ ए डब्ल्यू यू व ए आइ के एस ने ग्रामीण व शहरी मेहनतकशों तथा किसानों की एकता को मजबूत करने के लिए यह पहल की है।

19 जनवरी का संयुक्त कार्रवाई दिवस

1982 में हुई मजदूरों, किसानों, खेतमजदूरों की पहली आम हड़ताल के शहीदों को याद करने और जनता की साझा मांगों को उठाने व मौजूदा चुनौतियों का एकजूट होकर मुकाबला करने के लिए, सीटू, किसान सभा व खेतमजदूर यूनियन के संयुक्त आह्वान पर, हजारों की संख्या में मजदूरों, किसानों व खेतमजदूरों ने 19 जनवरी 2017 को जिला केन्द्रों व नीचे के स्तरों पर हुई संयुक्त रैलियों, प्रदर्शनों, धरनों व जन सभाओं में भाग लिया।

कार्यक्रम को त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, केरल व तमिलनाडु में सभी जिलों कें लागू किया गया, हरियाणा में भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, कैथल, जिंद व रोहतक, उतरप्रदेश में चंदौली के बाबुरी बाजार, झारखंड में बोकारो, जामताड़ा दुमका, सिंहभूम, साहेबगंज व रांची, बिहार में दरभंगा, बेगुसराय, बेतिया, समस्तीपुर, जमुई, वैशाली, नालन्दा व रतलाम, तथा तेलंगाना, असम व कर्नाटक के कई जिलों, तथा ओडिशा में भुवनेश्वर में विधानसभा के सामने राज्यस्तरीय प्रदर्शन किया गया। राज्यों की कुछ रिपोर्ट यहाँ दी जा रही हैं।

झारखंडः कार्यक्रम को 11 जिला मुख्यालयों के साथ 13 उप–संभागों व 24 ब्लॉक मुख्यालयों पर लागू किया गया। सभी स्थानों पर कम से कम 100 से ज्यादा खेतमजदूर, किसान व मजदूर धरने व प्रदर्शनों में शामिल थे। अनौपचारिक व परंपरागत सैक्टरों में लगे किसानों व मजदूरों की जीविका, आमदनी व रोजगार को बुरी तरह प्रभावित करने वाला नोटबंदी का मुद्दा, तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद करने वाले केन्द्रों के न होने के कारण मजबूरी में सूद–खोरो व दलालों को धान की बिक्री, नकदी की कमी से रबी की फसल के उत्पादन की हानि, सभी उद्योगों में समान काम के लिए समान वेतन, तथा सी एन टी एस पी टी एक्ट में संशोधन के लिए पेश विद्येयक को वापस लिये जाने को इन धरनों व प्रदर्शनों में जोर–शोर से उठाया गया।

साहेबगंज, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, सरायकला, रामगढ़, हजारीबाग, सोनाहाट ब्लॉक (रांची) मधुपुर ब्लॉक (देवघर) में स्थानीय मुद्दों को भी उठाया गया। (योगदानः प्रकाश विप्लव व सुराजित सिन्हा)

ओडिशाः राज्य सीटू , ए आइ के एस डबल्यू यू तथा आदिवासी अधिकारी मंच (आम) के बैनर तले सैकड़ो मजदूरों, किसानों, खेतमजदूरों व आदिवासियों ने संयुक्त रूप से भुवनेश्वर के पी एम जी स्केअर तक रंगारंग जुलूस निकाला तथा नोटबंदी के कारण फसलों को हुए नुकसान, रोजगारों के चले जाने व दिहाड़ी खत्म हो जाने के लिए समुचित मुआवजे; फसलों के लिए लाभकारी मूल्य; न्यूनतम वेतन कम से कम 1800 रूपये; मनरेगा के तहत 200 दिन के काम आदि मांगो को लेकर 19 जनवरी को दिन भर धरना दिया।

धरने को सीटू की ओर से लम्बोदर नायक, जर्नादन पति, शिवाजी पटनायक, दुष्मंतदास ने; किसान सभा की ओर से जगन्नाथ मिश्रा, जामेश्वर समन्तरी व सुरेश पाणिग्रही; खेतमजदूर यूनियन की ओर से नित्यानंद परीदा व शिशिर हुई तथा आम की ओर से सालो मरांडी तथा चमबुरू सोरेन ने संबोधित किया। राऊरकेला व अंगुल में भी संयुक्त कार्यक्रम हुए।(योगदानः रमेश जेना)

बिहारः 10 जिलों–पटना, बेगुसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, नालंदा, जमुई, बेतिया व मोतिहारी के जिला प्रशासन के सामने लगभग 1000 मजदूरों किसानों व खेतमजदूरों ने संयुक्त प्रदर्शन किया। यूनियनों में, बीड़ी निर्माण, योजना कर्मियों व मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन के सदस्यों ने प्रमुख भागेदारी की।

तेलंगानाः 21 जिलों में हुए कार्यक्रमों में 1471 ने भाग लिया। 17 जनवरी को एस वी के हैदराबाद में ''राज्य में भूमि अधिग्रहण, चुनौतियां व समाधान'' विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया जिसमें ए आइ के एम के राज्य उपाध्यक्ष सरमपल्ली मल्लारेड्डी मुख्य अतिथि थे। सेमिनार में 2013 के विधयेक को कमजोर करते हुए राज्य विधान सभा में एकतरफा व गैर जनतांत्रिक रूप से 2016 भूमि अधिग्रहण विधेयक को मंजूरी देने के लिए राज्य सरकार की भर्त्सना की गयी। खेतमजदूर यूनियन के उपाध्यक्ष बी वेंकट, सीटू उपाध्यक्ष आर सुधा भास्कर ने विषय पर विचार रखे।

सेमिनार की अध्यक्षता एम साईबाबू, बी चन्द्ररेड्डी व वेंकट रामुलु ने की ।बी एस एन एल, बीमा, पीयरलेस, मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव्स, डॉक कर्मियों, एल आइ सी एजेंटो, रक्षा कर्मियों ने इसमें भाग लिया। 19 जनवरी को 21 जिलों में ऐसे ही कन्वेंशन हुए तथा तीनों संगठनों के राज्य नेताओं ने भागेदारी की।

पश्चिम बंगालः सीटू राज्य कौंसिल के 48 वें सत्र व जिला समितियों ने कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए गंभीर कोशिशें की। सीटू, किसान सभा, खेतमजदूर यूनियन की पश्चिम बंगाल इकाईयों ने मुख्य रूप से बर्दवान के 4 स्थानों; नदिया के 4 स्थानों पर 500–1500 तक की भागेदारी के साथ सफल कार्यक्रम किये; हावड़ा में 10 स्थानों पर जुलूस, नुक्कड़ सभायें तथा जूट मिलों पर गेट मीटिगें कीं; पश्चिम मेदिनीपुर जिले के 12 खंड मुख्यालयों पर 30–300 की भागेदारी के साथ; मुर्शिदाबाद जिले के दो स्थानों पर; दार्जिलिंग जिले में 2 स्थानों पर कार्यक्रम किये; दक्षिण दिनाजपुर में हाल मीटिंग तथा पूर्वी मेदिनीपुर व बीरभूम जिले में कुछ स्थानों पर कार्यक्रम किये।

(शेष रिर्पोटें सीटू मजदूर के मार्च, 2017 अंक में)

परियोजना कर्मियों की हड़ताल

योजना कर्मियों की देशव्यापी संयुक्त हड़ताल

सीटू के 15 वें सम्मेलन ने, पहली बार 20 जनवरी,2017 की योजना कर्मियों की संयुक्त हड़ताल का आहवान किया। सीटू केन्द्र को प्राप्त रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि भारत के सभी राज्यों में योजना कर्मियों के अलग–अलग तबकों ने भारी हिस्सेदारी की। 23 राज्यों में हड़ताल सफल थी। हड़ताल में चार लाख से ज्यादा योजना कर्मी, मजदूर की मान्यता, न्यूनतम वेतन, पेंशन व अन्य सामाजिक सुरक्षा व योजनाओं के लिए समुचित आवंटन की माँग को लेकर सड़कों पर उतरे तथा राज्य व जिला स्तर पर विशाल प्रर्दशन व रैलियां की। राज्यवार कुछ रिपोर्ट यहाँ दी जा रही हैं।

(शेष रिपोर्ट सीटू मजदूर के मार्च,2017 अंक में)

आंध्रप्रदेशः सेवायें खत्म करने की सरकार की धमकी के बावजूद कोई 1.25 लाख योजना कर्मियों ने सीटू के 15वें सम्मेलन के आहवान पर 20 जनवरी की देशव्यापी हड़ताल में हिस्सा लिया जिनमें 70,000 आंगनवाड़ी कर्मी, 30,000 आशा कर्मी 20,000 मिड–डे–मील, 5000 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मियों ने एन आर एच एम ठेका कर्मियों, दुसरी ए एन एम, एन यू एच एम कर्मियों, सर्व शिक्षा अभियान व मनरेगा कर्मियों के साथ रैलियों, धरनों, प्रदर्शनों व जन सभाओं में भाग लिया। विजयवाड़ा में 3000 की बड़ी रैली हुई और जनसभा की गई जिसे सी पी आइ (एम) एम एल सी, एम वी एस शर्मा, सीटू महासचिव ए गफूर, सीटू राष्ट्रीय सचिव जी बेबी रानी व अन्य ने संबोधित किया।

तेलंगानाः हड़ताल को रोकने की सरकार की धमकी के बावजूद 2.5 लाख योजना कर्मियों में से 2 लाख से ज्यादा आँगनवाड़ी, आशा, एम डी एम, आइ के पी, वी ओ ए 2 ए एन एम, शहरी स्वास्थ्य मिशन, एम ई एम पी ए, साक्षर भारतीय, मनरेगा के फील्ड सहायकों, एस एस ए आदि के कर्मियों ने हड़ताल में भाग लिया। 32 जिलों के 380 मंडलों में हुई रैलियों व धरनों में 59,177 कर्मियों ने भाग लिया। हड़ताल की तैयारी के लिए जिला स्तरीय वर्कशाप, 17000 पोस्टर, 1 लाख से ज्यादा परचे बाँटे गये। सीटू नेताओं ने अभियान में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया।

तमिलनाडुः 26 जिलों में हड़ताल पूर्ण रही, 10,000 आंगनवाड़ी कर्मी हड़ताल में शामिल रहे। राज्य इकाई ने हड़ताल की माँगों में नोटबंदी व कृषि संकट को भी शामिल किया। सलेम, नामक्कल, धर्मपुरी, थिरूवरूर व त्रिवैल्लोर में प्रदर्शनों में औसत 800 कर्मचारियों ने भाग लिया। जल्लीकटटू आंदोलन और परिवहन व्यवस्था के गड़बड़ाने के कारण कई जिलों में प्रदर्शन नहीं हो सके। हड़ताल पूर्व अभियान व्यापक था। 1 लाख से ज्यादा परचे बाँटे गये। हड़ताल के बाद संबंधित सरकारी अधिकारियों ने हड़ताली सीटू यूनियनों के साथ चर्चा शुरू की है।

पंजाबः हजारों आंगनवाड़ी, आशा, एम डी एम, ग्रामीध चौकीदार हड़ताल पर रहे और विरोध रैलियों व प्रदर्शन किये गये। अमृतसर, बरनाला, लुधियाना, संगरूर, मानसा, मोगा, तरनतारन, गढशंकर, नवांशहर, बठिंडा, जलंधर व अन्य स्थानों पर 20 हजार से ज्यादा योजना कर्मी विरोध रैलियों व प्रदर्शनों में शामिल हुए। आईफा की राष्ट्रीय अध्यक्ष ऊषा रानी, स्कीम वर्करों की यूनियनों व सीटू नेताओं ने रैलियों को संबोधित किया।

पश्चिम–बंगालः आइ सी डी एस, आशा, मिड–डे–मील, एस एस ए, एस एस के, एम एस के, शहरी स्वास्थ्य योजना, एन सी एल पी व वोकेशनल प्रशिक्षकों ने हड़ताल व प्रदशनों में भाग लिया। कोलकता में हुई केन्द्रीय रैली में 12000 से अधिक योजना कर्मियों ने भाग लिया। सांसद, मो० सलीम, वाम मोर्चा के विधान सभा में नेता सुजान चक्रवर्ती के साथ सीटू नेताओं श्यामल चक्रवर्ती, दीपक दासगुप्ता व रत्ना दत्ता ने रैली को संबोधित किया। हड़ताल की तैयारी के महीने भर के अभियान में सभी योजना कर्मियों की यूनियनों की संयुक्त सभायें की गयीं, राज्य केन्द्र से 50000 परचों व 10,000 पोस्टारें समेत हजारों परचे बांटे गये; बैनर, प्लेकार्ड लगाये गये व जनता के हस्ताक्षर जमा किये गये। टी एम सी के गुंडों ने स्थानीय स्तर पर महिलाओं को धमकाया। हड़ताल में कुछ जिलों में भारी भागेदारी हुई लेकिन आंतक ग्रस्त कुछ जिलों में योजना कर्मियों ने तृणमूल के गुंडा तत्वों को बेवकूफ बनाते हुए हड़ताल में भाग लिया।

परियोजना कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों पर बैठक

केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने परियोजना कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के बारे में चर्चा करने के लिए 19 जनवरी, 2017 को केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की एक बैठक बुलाई। श्रम मंत्रालय के सचिव व सहसचिव तथा ई एस आइ व ई पी एफ के अधिकारी इसमें मौजूद थे। केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों में सीटू, बी एम एस, एटक, एच एम एस, ए आइ यू टी यू सी, एक्टू व टी यू सी सी के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित थे। सीटू का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष के हेमलता ने किया।

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के बारे में तैयार किया गया एक पृष्ठभूमि नोट बैठक में वितरित किया गया। इसमें असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के तहत उपलब्ध विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया गया था और बताया गया था कि इन परियोजना कर्मियों के लिए कोई आवश्यक सामाजिक सुरक्षा नहीं थी। इनमें से कुछ स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध थीं।

नोट में जहाँ यह जिक्र किया गया था कि 'इन परियोजना कर्मियों को दायरे में लाने के लिए ई एस आइ सी ने एक स्वास्थ्य बीमा योजना तैयार की है और इस योजना की विषेशताओं को सामने रखा गया, बाद में सचिव ने कहा कि ऐसी बात नहीं थी। पेश की जाने वाली योजना केवल कुछ सीमित लाभ प्रदान करती है और इनके लिए मजदूरों से प्रतिमाह 200 रूपये अंशदान का सुझाव है।

सीटू ने निम्नलिखित बिन्दू सामने रखे

सीटू ने इस पहलकदमी का स्वागत किया। आंगनवाड़ी कर्मियों व सहायकों, आशा व मध्याह्न योजना कमिर्यों को 'असंगठित क्षेत्र' के मजदूर नहीं माना जा सकता है। वे विभिन्न सरकारी विभागों में कार्य कर रहें हैं; ये योजनायें केन्द्र सरकार की हैं जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जा रहा है। इनमें से बहुत से कर्मी तो दशकों से काम कर रहे है। सरकार उन्हें नियुक्त करती है, उनका काम तय करती है, काम की शर्ते तय करती है, उन्हें परिश्रमिक देती है और अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है; उन्हें सरकार के द्वारा 'सेवानिवृत्ति' भी दी जा रही है।

45 वें भारतीय श्रम सम्मेलन ने परियोजना कर्मियों के मुददे पर एक विशेष एजेंडे के तौर पर चर्चा की और ठोस सुझाव दिये कि परियोजना कर्मियों को एक मजदूर के रूप में मान्यता दी जाये, उन्हें न्यूनतम वेतन और पेंशन समेत सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किये जायें। 45 वें आई एल सी की इन सिफारिशों को लागू करना श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। इस मुद्दे को टुकड़े–टुकड़े करके देखने से ज्यादा लाभ नहीं होंगा मंत्रालय को इस मुद्दे पर गठित 'उच्च स्तरीय समिति' (श्रम व रोजगार मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में बनी इस समिति में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला व बाल विकास, मानव संसाधन विकास मंत्रालयों के प्रतिनिधि और ई एस आइ सी तथा सी आर पी सी के महानिदेशक सदस्य के रूप में शामिल थे) के ठोस प्रस्तावों को रखना चाहिये था।

मध्याह्न भोजन योजना कर्मियों को वर्ष में केवल 10 महिने का ही पारिश्रामिक दिया जाता है। सामाजिक सुरक्षा में केवल ई एस आई व पी एफ ही नहीं बल्कि मातष्त्व लाभ तथा पेंशन आदि को भी शामिल होना चाहिये। आशा व मध्याह्न भोजन योजना कर्मियों को भुगतान के साथ मातृत्व अवकाश प्रदान नहीं किया जाता है। आशा व मिडे–डे मील कर्मियों को भी भुगतान के साथ 6 महीने का मातृत्व अवकाश दिया जाना चाहिये।

प्रस्तावों में बस ई एस आइ से संबंधित बातें थीं जबकि नोट में पी एफ के दायरे में लाने का भी जिक्र था।

योजना कर्मियों को आंशिक लाभ नहीं, ई एस आइ एक्ट के तहत सभी लाभ प्रदान किये जाने चाहियें। ई एस आइ व पी एफ के लिए अंशदान का भार सरकार को उठाना चाहिये।

सभी ट्रेड यूनियनों ने ऐसी ही राय जाहिर की। ई पी एफ ओ के प्रतिनिधि ने अपने प्रस्ताव के बारे में सूचित किया। उसने कहा कि योजना कर्मी ई पी एफ के दायरे में लिये जाने के योग्य हैं। जिसके लिए केवल यह असवश्यकता है कि 20 मजदूर हों और गतिविधि अधिसूचित हो। उन्होंने सरकार से पी एफ एक्ट के तहत एक अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया जिसमें योजना कर्मियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां शामिल हों। ई एस आइ सी के प्रतिनिधि ने कहा कि एक्ट के तहत सभी लाभों को प्रदान करने पर प्रतिवर्ष कम से कम 3200 करोड़ रूपये का खर्च आयेगा।

सचिव ने यह कहते हुए कि वह ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों द्वारा जाहिर की गई राय के आधार पर वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा करेंगी और जो कुछ भी व्यवहारिक होगा उसकी सिफारिश करेंगी, बैठक का समापन किया।

–हेमलता

परियोजना मजदूरों व लाभार्थियों के बारे में सीटू के 15वें सम्मेलन का प्रस्ताव

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) का 26–30 नवम्बर, 2016 तक ओडिशा के पुरी में हो रहा यह 15वाँ सम्मेलन;

दर्ज करता है

कि, केन्द्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों द्वारा समेकित बाल विकास सेवाओं (आइ सी डी एस), मध्याह्न भोजन (एम डी एम पी), अधिकृत समाज स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन एच एम), राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन आर एल एम), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन आर एल एम), सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए) के कस्तूरबा गांधी बालिका विधालय, मनरेगा के रोजगार सेवक, शिक्षा मित्र, पंचायत सेवकों आदि के जैसी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दसियों लाख योजना कर्मी नियुक्त हैं;

वे, खेतमजदूरों, किसानों, शारीरिक श्रम करने वाले ग्रामीण मजदूरों समेत लाखों ग्रामीण गरीब परिवारों में कुपोषण को कम करने, टीकाकरण को सुधाने में; नवजात व मातृ मत्युदरों को कम करने में; स्कूल छोड़ देने की दर में कमी लाने; बाल श्रमिकों का पुनर्वास करने; मनरेगा आदि के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं;

इनमें, मजदूरों व लाभार्थियों, दोनों का बहुमत, सामाजिक रूप से हाशिये के तबकों से संबंध रखता है;

सम्मेलन आगे दर्ज करता है,

कि, इन योजना कर्मियों को उनके काम के घंटों के बाद भी लम्बे समय तक काम के लिए मजबूर किया जाता है, बिना किसी मुआवजे के सरकारों व संस्थाओं के अतिरिक्त काम की जिम्मेदारियां उन पर थोपी जाती हैं; पूरे साल के वेतन का भुगतान नहीं किया जाता तथा वेतन के भुगतान में देरी व कटौती की जाती है; सरकारी प्रशासन के पर्यवेक्षण व अनुशासनात्मक कार्रवाई के मातहत रहते हैं;

लेकिन, सरकारी कर्मचारियों या मजदूरों के दर्जे से वंचित हैं तथा 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन की, कानून के तहत उन्हें 'मजदूरों' की मान्यता देने, न्यूनतम वेतन व संबद्ध सामाजिक लाभ प्रदान करने की सिफारिश के बावजूद स्वयं सेवकों को प्रदान किये जाने वाले 'मानदेय' के नाम पर शोषणकारी वेतन व्यवस्था से बंधे हुए हैं;

कि, योजना कर्मी व लाभार्थी दोनों को ही सरकार द्वारा इन योजनाओं को होने वाले आवंटन में कटौती करने; योजनाओं को क्रियान्वित करने के स्थान पर लाभार्थियों को सीधे पैसे का हस्तांतरणं, करने; और सरकार द्वारा इन कल्याणकारी योजनाओं को मुनाफे के लिए निजी गैर–सरकारी संगठनों व कारपोरेटों को सौंपने के द्वारा कमजोर करके वंचित किया जा रहा है;

इन परिस्थितियों में, यह सम्मेलन

माँग करता है

–कि योजनाओं के लाभार्थियों व मजदूरों, दोनों के फायदे के लिए इन सभी योजनाओं के लिए पूरा व बढ़ा कर बजट आवंटन किया जाए; योजनाओं व उनके केन्द्रों को और मजबूत किया जाये; नई कल्याणकारी योजनाओं के साथ विस्तार दिया जाये; सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना का निजीकरण बंद हो, तथा सभी लाभार्थियों व मजदूरों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में लिया जाए; और

– योजनाकर्मियों/मजदूरों को श्रम कानूनों के तहत मजदूरों की मान्यता देकर 45वें आइ एल सी की सिफारिशों को लागू किया जाए; मजदूर वर्ग के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध न्यूनतम वेतन का भुगतान; सेवानिवृत्ति लाभों सहित सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ दिये जाएं।

सीटू का यह 15वां सम्मेलन सीटू की सभी राज्य समितियों का आहवान करता है

– कि, राज्य स्तर पर समन्वय के साथ जिलों और निचले स्तरों पर, जहाँ–जहाँ संभव हों, योजना मजदूरों अन्य मजदूरों व खेतमजदूरों व किसानों के संगठनों के प्रतिनिधयों के साथ अभियान समितियां गठित की जाएं;

प्रचार सामग्री के साथ, मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त बैनर के अंतर्गत सघन अभियान छेड़ा जाए, ग्राम सभायें की जायें; तथा योजना केन्द्रों; ब्लॉक व जिला मुख्यालयों पर संयुक्त आंदोलनात्मक कार्यक्रम तय किये जाएं जिनका समापन राज्य की राजधानियों में हो; और

अपनी संबंधित यूनियनों/फेडरेशनों/कमिटियों मे इन मांगों पर संबंधित मजदूरों के बीच साथ–साथ अभियान चलाने और कार्रवाईयां तय करने का आहवान करता है।

सीटू का यह 15वाँ सम्मेलन मानता है कि यह संयुक्त आंदोलन, जाति व संप्रदाय की बाधाओं को तोड़ने में, खासतौर पर ग्रामीण भारत में, वर्तमान में मजदूर वर्ग की पहल के अंतर्गत देश के जनवादी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है, और सामंती ढांचों को बड़ा धक्का पहुँचा सकता है।

प्रदेशों से

दिल्ली-एन सी आर

बड़ी जीत की ओर दिल्ली नगर निगम के ठेका मजदूर

दिल्ली की तीन नगर निगमों के सैकड़ों ठेका मजदूरों द्वारा 16–18 जनवरी तक सभी 12 जोनों में 3 दिन तक काम के बहिष्कार, तथा उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मुख्य कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने व भूख हड़ताल के बाद उत्तरी दिल्ली दिल्ली नगर निगम के आयुक्त ने, जो दिल्ली की तीनों निगमों के नोडल अधिकारी भी हैं, सीटू से संबद्ध एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन के आन्दोलनरत नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया। सीटू के दिल्ली राज्य महासचिव अनुराग सक्सेना के नेतृत्व में यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने आयुक्त के साथ यूनियनों के माँगपत्र की सेवा शर्तों की समीक्षा तथा 3500 डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स (डी बी सी) के रोजगार को नियमित करने की मांगों पर सकरात्मक चर्चा की।

चर्चा के उपरान्त बनी समझदारी के तहत प्रशासन ने वार्षिक बोनस, छुट्टियों, भुगतान सहित छुट्टियों, पी एफ व मेडिकल लाभों जैसे वैधिानिक लाभों को प्रदान करने का आश्वासन दिया। यह भी सहमति बनी की यूनियन 2/3 सप्ताह में मौजूदा तारीख से उन्हें नियमित 'फील्ड वर्कर' के पद पर नियुक्ति के बारे में लिखित प्रस्ताव देगी। चर्चा के बाद यह आश्वासन दिया गया कि समीक्षाके बाद तय सेवा शर्ते सभी 3 नगर निगमों के डी बी सी कर्मचारीयों पर लागू होंगी।

अतिरिक्त आयुक्त व श्रम कल्याण अधिकारियों के धरना स्थल पर आकर आश्वासन देने व भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील करने पर ही यूनियन ने आंदोलन समाप्त किया। सीटू की दिल्ली राज्य समिति ने डी बी सी कर्मचारियों व उनकी यूनियन को उनके आंदोलन के सफलतापूर्वक समापन पर बधाई दी।

(योगदानः अनुराग सक्सेना)

गुजरात

परियोजना कर्मियों की विशाल रैली

सीटू से संबद्ध गुजरात आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन (जी ए के एस) व आशा हैल्थ वर्कर्स यूनियन के संयुक्त आहवान पर गुजरात के 28 जिलों से 15000 की अभूतपूर्व संख्या में आयीं आंगनवाड़ी व आशाओं ने वेतन वृद्धि, न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा लाभों व अन्य राज्य स्तरीय मांगों को लेकर अहमदाबाद में गांधीनगर में विशाल राज्य स्तरीय रैली की।

सभा की अध्यक्षता सीटू राज्य अध्यक्ष सुबोध मेहता ने की तथा जी एस के एस व आशा यूनियन की नेताओं नसीम बेन मकरानी, अशोक सोमपुरा, कैलास रोहित व भारती मकवाना; सीटू के राज्य महासचिव अरूण मेहता, सीटू व एडवा तथा बिरादराना संगठनों के अन्य नेताओं ने सभा को संबोधित किया।

बी एम एस यूनियन ने रैली को विफल करने के लिए झुठा प्रचार कर कर्मियों को बरगलाने की कोशिशें की मगर वह बुरी तरह विफल रही। इस अवसर बी एम एस के कई नेता व सदस्य सीटू की यूनियन में शामिल हुए।

तमिलनाडु

एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में सफल संघर्ष

श्रीपेरूम्बदूर स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनी हावर्थ की फैक्टरी के ठेका मजदूरों ने हाल ही में बड़ी जीत हासिल की। 6 महीने पूर्व ठेका मजदूरों ने सीटू की मदद से एक यूनियन बनायी और इसके पंजीकरण के लिए आवेदन किया। श्रम विभाग ने प्रबंधन के प्रभाव में रहते हुए जाँच की बात कह इसे लटकाये रखा। सूचना के अधिकार के तहत सीटू ने औद्योगिक सुरक्षा व स्वास्थ्य निदेशक से कंपनी में कार्यरत स्थायी ठेका श्रमिकों की संख्या ठेकेदारों की संख्या व उनके ठेकों के विवरण के बारे में जानकारी माँगी। इस आवेदन की जानकारी मिलने पर कंपनी ने 3–5 वर्ष से काम कर रहे 15 मजदूरों को जो यूनियन के आग्रणी कार्यकर्ता थे, बर्खास्त कर दिया।

इस हमले के खिलाफ, मजदूरों ने 5–9 दिसम्बर, 2016 तक 5 दिन की सफल हड़ताल की। अंततः प्रबंधन को 15 बर्खास्त कर्मचारियों को वापिस लेना पड़ा तथा बहाल किये गये 10 कर्मचारियों समेत 80 ठेका मजदूरों को नियमित करना पड़ा प्रबंधन द्वारा मजदूरों की मांगों को मानने के लिए बाध्य होने का एक प्रमुख कारण यह रहा कि एक भी ठेकेदार ने श्रम विभाग से लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया था।

ठेकेदार– एस एम एस, आइ क्यू एम एस व टी एस आर पिछले 3 वर्षो से बिना लाइसेंस काम कर रहे थे। पी एफ आयुक्त ने यूनियन को आश्वासन दिया है कि ठेकेदारों से पी एफ की वसूली के लिए विभाग कार्रवाई शुरू करेगा।

(योगदानः एस कन्नन)

समान काम के लिए समान वेतन

सीटू यूनियनों द्वारा देशव्यापी आंदोलन

सीटू के 15वें सम्मेलन ने समान काम के लिए समान वेतन के उच्चतम न्यायालय के फैसले को ठेका, अस्थायी, कैजुअल मजदूरों के लिए लागू कराने के लिए 22 दिसम्बर की कार्यस्थलों पर मजदूरों के संयुक्त प्रदर्शनों और संबंधित प्रबंधकों को ज्ञापन देने का फैसला किया था। (देखें 15वें सम्मेलन का प्रस्ताव, सीटू मजदूर, जनवरी 2017)। कुछ राज्यों की रिपोर्ट नीचे दी जा रही हैं।

दिल्ली–एन सी आरः सीटू के आह्वान पर केन्द्रीय श्रम मंत्रालय पर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया व जन सभा हुई जिसे सीटू के कोषाध्यक्ष एम एल मलकोटिया व राज्य महासचिव अनुराग सक्सेना ने संबोधित किया। प्रदर्शनकारियों में इंदिरागांधी एअरपोर्ट, डीयू, जेएनयू, आइ एल बी एस अस्पताल, वसंतकुंज, चाचा नेहरू अस्पताल, गीता कॉलोनी, जीटीबी, कॉनकार, सी डब्लू सी, आरआरसीटीसी, सीबीएसई, आइसीडीएस, डीबीसी–एसडीएमसी, ईडीएमसी, एनडीएमसी, निर्माण मजदूरों, नोयडा अथारिटी, टेरेक्स इंटरनेशनल नोयडा, सीईएल साहिबाबाद, कूपर स्टैंडर्ड, रेडिएंट पॉलीमर्स साहिबाबाद, रेस कोर्स, गउशाला, होटल, वेंडर्स, आंगनवाड़ी आदि के मजदूर शामिल थे। इन सभी के एक–एक नेता ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। क्षेत्रीय श्रमायुक्त ने श्रममंत्री की ओर से ज्ञापन लिया।

पंजाबः राज्य में 30 अधिक स्थानों पर प्रभावशाली रैली व प्रदर्शन किये गये। कई जगहों पर केन्द्र व राज्य सरकार के पुतले फूँके गये। बठिंडा, मानसा, बरनाला, संगरूर, होशियारपुर, नवांशहर, रोपड़, लुधियाना, अमष्तसर, घनौर, पठानकोट, रायकोट, तरनतारन, पट्टी, मोगा, मुक्तसर आदि में रैलियों व प्रदर्शन हुए इनमें सीटू से संबद्ध यूनियनों के करीब 8000 मजदूरों ने भाग लिया। मुख्य भागेदारी पंजाब रोडवेज, पनबस के ठेका मजदूरों व अन्य सैक्टरों के ठेका मजदूरों की रही। पंजाब रोडबेज, पन बस ठेका मजदूर यूनियन (सीटू) के आह्वान पर 2000 ठेका मजदूरों ने समान काम के लिए समान वेतन की मांग करते हुए 4 घंटे तक चक्का जाम किया।

जम्मू व कश्मीरः देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों में भाग लेते हुए कैजुअल, ठेका, तर्क्ष्थ, अस्थायी, दिहाड़ी मजदूरों ने सीटू के बैनर तले, लाल झंडे लेकर, तख्तियां उठाये, नारे लगाते हुए जम्मू के प्रेस क्लब के पास प्रदर्शन किया और समान काम के लिए समान वेतन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग की। सीटू राज्याध्यक्ष एम वाई तारिगामी, महासचिव ओम प्रकाश, वरिष्ठ नेता श्यामप्रसाद केसर व अन्य ने रैली को संबोधित किया।

केरलः सभी जिलों में 15–18 दिसम्बर के बीच कन्वेंशन हुए, 22 दिसम्बर को 46 केन्द्रों पर रैलियां व जन सभायें हुई। इन कार्यक्रमों में हजारों ठेका व कैजुअल मजदूरों ने भाग लिया। मुद्दे के बारे में राज्य कमेटी के पर्चे को जिला समितियों द्वारा बांटा गया। सीटू राज्य सचिव के एन गोपीनाथ ने समान काम के लिए समान वेतन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कराने के लिए 20 दिसम्बर को कोचि में एच एम टी गेट पर धरने का उद्घाटन किया।

एफ एस यू आइः सीटू सम्मेलन के आह्वान पर फारवर्ड सीमैन यूनियन ऑफ इंडिया (एफ एस यू आई) ने 22 दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पालना की मांग करते हुए शिपिंग कॉपोरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। यूनियन ने आदेश को तटीय कर्मियों व नाविकों दोनों के लिए लागू न किये जाने पर आंदोलन को तेज करने की भी घोषणा की।

vk|kfxd Jfedk d fy, miHkkDrk eY; lpdk vk/kkj o"k 2001=100

u- 112@6@2006&,ulhihvkb

jkT;	dsn	vDVw0 2016	न०व० 2016
vk/k izns'k	xq.Vwj	273	271
	gSnjkckn	243	243
	fo'kk[kkiÿku	278	277
	okjaxy	250	251
vle	MeMek frulf[k;k	246	244
	xokgkVh	260	260
	ycd flYpj	245	245
	efj;kuh tkjgkV	242	239
	jxkikjk rsrsij	311	308
fcgkj	eq?kj&tekyiqj	272	273
p.Mhx<	p.Mhx<	313	313
NÿkhlX<	fHkykbZ	253	252
fnYyh	fnYyh	288	285
Xkkvk	xkvk	266	261
Xkqtjkr	vgenkckn	265	262
	Hkkouxj	272	272
	jktdkV	254	254
	lwjr	267	267
	oMknjk	256	254
gfj;k.kk	Qjhnkckn	271	273
	;euk uxj	248	248
fgekpy	fgekpy çn'k	249	252
tEew ,oa d'ehj	Jhuxj	287	378
>kj[k.M	ckdkjk	307	303
	fxfjMhg	322	310
	te'kniqj	310	307
	>fj;k	329	325
	dkMek	313	311
	jkph gfV;k	280	280
dukVd	cyxke	281	278
	cxykj	291	293
	gcyh /kkjokM	285	285
	ejdjk	280	281
	eSlwj	270	269
dsjy	,.kkdqye@vyoZ	283	282
	eq.MkD;ke	295	297
	fDoyku	275	273
e/; çn'k	Hkksiky	285	285
	fNUnokM	256	255
	bUnkSj	277	277
	tcyiqj		

jkT;	dsn	vDVw0 2016	न०व० 2016
egjk"V	eEcbZ	287	285
	ukxiqj	312	311
	ukfld	291	289
	iq.kZ	280	280
	'kksykiqj	295	294
mMhlk	vkxzk&rkyqj	293	293
	jkmjdqyk	297	300
ikfMpfj	ikfMpfj	285	287
iatkc	vejrlj	279	279
	tkyU/kj	274	275
	ywf/k;kuk	277	277
jktLFkku	vtesj	258	255
	HkhyokM	273	272
	t;iqj	258	264
rfeyukMq	pUuS	250	250
	dk;EcVwj	248	248
	dUuwj	273	272
	enqjkbZ	264	263
	lqye	270	260
	fr#fpjkiYyh	265	264
f=iqjk	f=iqjk	288	287
mÿkj çn'k	vkxjk	252	253
	xkft;kckn	298	299
	dkuiqj	274	275
	y[kuÅ	290	290
	okjk.klh	280	279
if'pe cxky	vklulky	285	285
	nkftfyax	305	305
	nxkiqj	265	265
	gfYn;k	303	303
	gkoM	308	307
	tkyikbZxqM	267	267
	dkydkrk	272	270
	jkuhxat	269	263
	flyhxqM	260	254
		260	262
vf[ky Hkkjrh; lpdk		278	277

सीटू का मुखपत्र

सीटू मजदूर

ग्राहक बनें

- **व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए** – वार्षिक ग्राहक शुल्क – रू0 100/–
- **एजेंसी** – कम से कम पाँच प्रतियों; 25% छूट कमीशन के रूप में;
- **भुगतान** – चेक द्वारा – ''सीटू मजदूर'' जो कनारा बैंक, डीडीयू मार्ग शाखा, नई दिल्ली–110002 पर देय

  बैंक मनी ट्रांसफर द्वारा – एसबीए/सीन0 0158101019568;
  आइएफसीकोड : सीएनआरबी 0000158;
- **संपर्कः** ई मेल/पत्र की सूचना के साथ
  प्रबंधक, सीटू मजदूर, सीटू केन्द्र, बी टी आर भवन,
  13 ए राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002; ईमेलः citubtr@gmail.com
  फोनः (011) 23221306 फैक्सः (011) 23221284

19 जनवरी का संयुक्त कार्यक्रम

बिहार

झारंखड

केरल

Posted at NDPSO New Delhi- 1 Postal Regd. No. DL(C)-01/1201/15-17 RNI No. 34666/79: 6th-7th of every month Licensed to Post without prepayment under License No. U(C)-38/2015-2017 (Date of Publication - 5/12/2016)

19 जनवरी का संयुक्त कार्यक्रम

1982 के शहीदों को याद करते हुए

(रिर्पोट पृ० 18)

तमिलनाडु के थिरुमिग्यानम में शहीदों को श्रृद्धांजलि देते हुए

चंदौली, उत्तर प्रदेष के बबुरी बाजार में रैली व सभा

तपन सेन द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए मुद्रित और प्रकाशित तथा प्रोग्रैसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली–95 से मुद्रित तथा बी टी रणदिवे भवन, 13–ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित (फोनः 23221288, 23221306; http://www.citucentre.org, CITU email: citu@bol.net.in, citubtr@gmail.com) सम्पादक : के हेमलता

सीटू का 15वाँ सम्मेलन